



उत्तर प्रदेश सरकार

2018-2019 के लिये

**अनुपूरक अनुदानों
की
मांगें**

(अगस्त, 2018)

(जैसा कि विधान-मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयीं)

उत्तर प्रदेश सरकार
2018-2019 के लिये
अनुपूरक अनुदानों
की
मांगें

(अगस्त, 2018)

वित्तीय वर्ष 2018–2019 के लिये अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तावनिक टिप्पणी

किसी वित्तीय वर्ष में व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई धनराशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पायी जाने पर उस अतिरिक्त व्यय की प्राक्कलित धनराशि के लिये विधान मण्डल के समक्ष अनुपूरक अनुदान की मांग का प्रस्तुतिकरण संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार अभीष्ट है । व्यय की ऐसी नई मदों के सम्बन्ध में भी अनुपूरक अनुदान की मांग प्रस्तुत करनी होती है, जिनके लिए मूल आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं होती । अनुपूरक अनुदान की मांग की उस समय भी आवश्यकता होती है, जब सम्बन्धित व्यय के लिए धन उपलब्ध हो, पर व्यय नई मदों के लिए हो या मूल योजना में इतना महत्वपूर्ण परिवर्तन हो गया हो कि उसे विधान-मण्डल के सामने स्वीकृति के लिए प्रस्तुत करना आवश्यक हो । ऐसी मांग "प्रतीक मांग" कहलाती है जो प्रचलित वित्तीय व्यवस्था का एक स्वीकृत अंग है ।

2. वित्तीय वर्ष 2018–2019 की अनुपूरक अनुदान की मांग में, अनुदान के अन्तर्गत आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि, अनुपूरक अनुदान की मांग की धनराशि, जिसकी अब आवश्यकता है तथा उससे सम्बन्धित संक्षिप्त टिप्पणियाँ भी सम्मिलित हैं । विनियोग लेखों के प्रयोजन के लिए लेखा शीर्षों के अनुसार सविस्तार विवरण भी अनुदानवार दिया गया है । अनुपूरक अनुदान की मांग मुख्यतया इसलिए की जा रही है कि आय-व्ययक में व्यवस्थित धनराशि, व्यय की वास्तविक आवश्यकताओं की पूर्ति के सापेक्ष कम पड़ने की सम्भावना है । इनमें से कुछ नई मदों पर व्यय करने के लिए भी हैं जिनके लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक में कोई व्यवस्था नहीं है । इसके अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान की मांग में "उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि" से स्वीकृत किए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति के प्रस्ताव भी सम्मिलित हैं, जिसका उल्लेख सम्बन्धित अनुदान के अन्तर्गत टिप्पणी में किया गया है । विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत मांगों का विवरण अगले पृष्ठों पर अनुसूची में दिया गया है ।

3. प्रस्तावित अनुपूरक मांग ₹ 3483324.40 लाख हैं, जिसमें राजस्व लेखा ₹ 1954339.38 लाख तथा पूंजी लेखा ₹ 1528985.02 लाख है । अनुपूरक मांग ₹ 3483324.40 लाख में राज्य आकस्मिकता निधि से स्वीकृत अग्रिम की प्रतिपूर्ति के लिये ₹ 23009.00 लाख तथा राज्य की समेकित निधि पर भारित व्यय के लिए ₹ 4872.91 लाख की धनराशि सम्मिलित है ।

4. उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004 की धारा-6(5) के अधीन अपेक्षित विवरण पत्र भी इन मांगों के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है ।

भाद्रपद 05, शक संवत्, 1940
तदनुसार
27 अगस्त, 2018

संजीव मित्तल
अपर मुख्य सचिव, वित्त
एवं वित्त आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन ।

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004
की धारा-6(5) के अधीन अपेक्षित विवरण

उत्तर प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्ध अधिनियम, 2004
की धारा-6(5) में निम्नलिखित प्रावधान है -

- 6(5) जब कभी एक या उससे अधिक अनुपूरक प्राक्कलन विधान मण्डल के सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे, राज्य सरकार चालू वर्ष के बजट लक्ष्यों और भावी वर्ष के लिए मध्यकालिक राजकोषीय पुनःसंरचना नीति के उद्देश्यों और लक्ष्यों के सम्बन्ध में अनुपूरक प्राक्कलन के राजकोषीय प्रभाव को पूर्णतः समाप्त करने के लिये व्यय की तत्सम कमी और / या राजस्व के समवर्द्धन को सूचित करने वाला विवरण भी संलग्न करेगी ।

प्रस्तुत अनुपूरक माँगों का कुल आकार ₹ 3483324.40 लाख है, जिसमें केन्द्रीय योजनाओं हेतु प्राप्त होने वाले केन्द्राँश की धनराशि ₹ 679225.43 लाख को घटाने के उपरान्त समेकित निधि से होने वाले शुद्ध व्यय भार की धनराशि 2804098.97 लाख रूपये है । इस राशि का वित्त पोषण कर एवं करेत्तर राजस्व में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करके तथा अनुत्पादक व्यय में कमी करके किया जायेगा ।

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹लाख में)		पृष्ठ संख्या	
			मतदेय	भारित		
1	2	3	4	5	6	
001	आबकारी विभाग	आबकारी मंत्री	राजस्व	200.00	...	1
002	आवास विभाग	मुख्य मंत्री				2
			पूँजी	500.00	...	
006	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	वस्त्रोद्योग मंत्री	राजस्व	0.01	...	3
007	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	औद्योगिक विकास मंत्री	राजस्व	10000.00	...	4-5
			पूँजी	50000.00	...	
009	ऊर्जा विभाग	ऊर्जा मंत्री	राजस्व	210000.00	1550.72	6-8
			पूँजी	574880.10	...	
010	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)	उद्यान मंत्री	राजस्व	50.13	3.90	9-12
			पूँजी	750.00	3.36	
011	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	कृषि मंत्री	राजस्व	138720.09	...	13-15
			पूँजी	0.01	...	
013	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	मुख्य मंत्री	राजस्व	13878.60	...	16-18
			पूँजी	66810.00	...	
014	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	मुख्य मंत्री	राजस्व	662119.23	...	19-21
			पूँजी	800.00	...	
015	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	पशुधन मंत्री	राजस्व	1352.31	...	22-24
			पूँजी	3493.33	...	
016	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	दुग्ध विकास मंत्री	राजस्व	500.00	...	25
017	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	मत्स्य मंत्री				26
			पूँजी	96.13	...	

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹लाख में)		पृष्ठ संख्या	
			मतदेय	भारित		
1	2	3	4	5	6	
020	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	मुख्य मंत्री	राजस्व		1486.50	27
024	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	मुख्य मंत्री	राजस्व	50000.00	...	28-29
			पूँजी	503500.00	...	
026	गृह विभाग (पुलिस)	मुख्य मंत्री	राजस्व	67827.07	...	30-35
			पूँजी	27926.85	...	
028	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजनैतिक पेंशन मंत्री	राजस्व	2000.00	...	36
031	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	चिकित्सा शिक्षा मंत्री				37-38
			पूँजी	1054.95	...	
032	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री	राजस्व	0.70	...	39
033	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	मुख्य मंत्री	राजस्व	800.00	...	40-41
			पूँजी	498.71	...	
034	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	मुख्य मंत्री	राजस्व	200.00	...	42
037	नगर विकास विभाग	नगर विकास मंत्री	राजस्व	6000.00	...	43-45
			पूँजी	82000.00	...	
038	नागरिक उड्डयन विभाग	नागरिक उड्डयन मंत्री				46-47
			पूँजी	80500.00	...	
040	नियोजन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	315.57	...	48-50
			पूँजी	75975.00	...	
041	निर्वाचन विभाग	मुख्य मंत्री				51
			पूँजी	5000.00	...	

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹लाख में)		पृष्ठ संख्या	
			मतदेय	भारित		
1	2	3	4	5	6	
042	न्याय विभाग	न्याय मंत्री	राजस्व	4437.01	1828.43	52-56
			पूँजी	7715.12	...	
044	पर्यटन विभाग	पर्यटन मंत्री				57
			पूँजी	3000.00	...	
046	प्रशासनिक सुधार विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	12.00	...	58
047	प्राविधिक शिक्षा विभाग	प्राविधिक शिक्षा मंत्री	राजस्व	181.17	...	59
049	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	महिला एवं बाल कल्याण मंत्री	राजस्व	80628.18	...	60-61
			पूँजी	4000.00	...	
051	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	मुख्य मंत्री	राजस्व	30100.00	...	62
054	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	लोक निर्माण मंत्री	राजस्व	620.50	...	63-64
057	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	लोक निर्माण मंत्री				65-66
			पूँजी	1580.00	...	
058	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	लोक निर्माण मंत्री				67
			पूँजी	22500.00	...	
059	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	मुख्य मंत्री	राजस्व	1780.15	...	68-70
060	वन विभाग	वन मंत्री	राजस्व	270.04	...	71-73
			पूँजी	133.74	...	
062	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	वित्त मंत्री	राजस्व	303189.50	...	74-75
063	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	वित्त मंत्री	राजस्व	1000.00	...	76

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूर्क मांगों की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹लाख में)		पृष्ठ संख्या	
			मतदेय	भारित		
1	2	3	4	5	6	
065	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	वित्त मंत्री	राजस्व	500.00	...	77
068	विधान सभा सचिवालय	संसदीय कार्य मंत्री	राजस्व	12.57	...	78-79
			पूँजी	487.43	...	
070	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री	राजस्व	4443.56	...	80-81
072	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	माध्यमिक शिक्षा मंत्री	राजस्व	553.69	...	82-83
			पूँजी	2500.00	...	
073	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	उच्च शिक्षा मंत्री	राजस्व	97383.72	...	84-86
			पूँजी	2536.23	...	
074	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	मुख्य मंत्री	राजस्व	19808.72	...	87-88
075	शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद)	मुख्य मंत्री	राजस्व	662.77	...	89-91
078	सचिवालय प्रशासन विभाग	मुख्य मंत्री				92-93
			पूँजी	489.00	...	
079	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री	राजस्व	19370.70	...	94-95
			पूँजी	500.00	...	
081	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री	राजस्व	47839.97	...	96-101
			पूँजी	2939.96	...	
083	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	समाज कल्याण अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्री	राजस्व	171135.37	...	102-108
			पूँजी	4315.08	...	

वित्तीय वर्ष 2018-2019 में किये जाने वाले व्यय के लिये अनुपूरक मांगों की अनुसूची

अनुदान संख्या	विवरण	प्रभारी मंत्री	धनराशि (₹लाख में)		पृष्ठ संख्या	
			मतदेय	भारित		
1	2	3	4	5	6	
084	सामान्य प्रशासन विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	450.00	...	109-110
086	सूचना विभाग	मुख्य मंत्री	राजस्व	1000.00	...	111-112
			पूँजी	1100.00	...	
092	संस्कृति विभाग	संस्कृति मंत्री	राजस्व	126.50	...	113-114
			पूँजी	1400.02	...	
			योग : राजस्व	1949469.83	4869.55	
			पूँजी	1528981.66	3.36	
			योग :	3478451.49	4872.91	
			कुल योग :	3483324.40		

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
राजस्व लेखा		
क - सामान्य सेवायें		
(क) राज्य के अंग		
2013 - मंत्रि परिषद्	59	134.09
योग : 2013		134.09
2014 - न्याय प्रशासन	42	4184.51
योग : 2014		4184.51
योग : (क)		4318.60
(ख) राज कोषीय सेवायें		
(III). वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण		
2039 - राज्य उत्पाद शुल्क	01	200.00
योग : 2039		200.00
योग : (ख)		200.00
(ग) ब्याज की अदायगी तथा ऋण सेवा		
2049 - ब्याज अदायगियां	09	1550.72
योग : 2049		1550.72
योग : (ग)		1550.72
(घ) प्रशासनिक सेवायें		
2051 - लोक सेवा आयोग	20	1486.50
योग : 2051		1486.50
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवायें	46	12.00
	42	26.82
	59	131.25
योग : 2052		170.07
2054 - खजाना तथा लेखा प्रशासन	63	1000.00
योग : 2054		1000.00
2055 - पुलिस	26	65017.07
योग : 2055		65017.07
2059 - लोक निर्माण कार्य	68	12.57

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	59	276.13
	54	620.50
	योग : 2059	909.20
2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें		
	14	1146.42
	37	2000.00
	74	19808.72
	योग : 2070	22955.14
	योग : (घ)	91537.98
(ङ) पेंशन तथा विविध सामान्य सेवायें		
2071 - पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ		
	72	153.69
	62	303189.50
	योग : 2071	303343.19
	योग : (ङ)	303343.19
	योग : क	400950.49
ख - सामाजिक सेवायें		
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति		
2202 - सामान्य शिक्षा		
	75	662.77
	81	7523.29
	73	97353.72
	योग : 2202	105539.78
2203 - तकनीकी शिक्षा		
	47	181.17
	योग : 2203	181.17
2204 - खेल कूद तथा युवा सेवायें		
	73	30.00
	72	400.00
	योग : 2204	430.00
2205 - कला एवं संस्कृति		
	92	126.50
	योग : 2205	126.50
	योग : (क)	106277.45
(ख) स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण		
2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य		
	34	200.00
	33	800.00

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	योग : 2210	1000.00
2211 - परिवार कल्याण	81	6456.36
	योग : 2211	6456.36
	योग : (ख)	7456.36
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास		
2215 - जल पूर्ति तथा सफाई	37	2500.00
	योग : 2215	2500.00
2216 - आवास	59	1238.68
	योग : 2216	1238.68
2217 - शहरी विकास	37	1500.00
	योग : 2217	1500.00
	योग : (ग)	5238.68
(घ) सूचना तथा प्रसारण		
2220 - सूचना तथा प्रचार	86	1000.00
	योग : 2220	1000.00
	योग : (घ)	1000.00
(ङ) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण		
2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	83	101.00
	81	3312.13
	79	18400.00
	योग : 2225	21813.13
	योग : (ङ)	21813.13
(च) श्रमिक तथा श्रम कल्याण		
2230 - श्रम तथा रोजगार	81	675.00
	योग : 2230	675.00
	योग : (च)	675.00
(छ) समाज कल्याण तथा पोषण		
2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	83	0.31
	32	0.70

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	79	970.70
	28	2000.00
	42	2054.11
	26	2810.00
	49	80628.18
	योग : 2235	88464.00
2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत	51	30100.00
	योग : 2245	30100.00
	योग : (छ)	118564.00
(ज) अन्य		
2250 - अन्य सामाजिक सेवायें	84	450.00
	योग : 2250	450.00
	योग : (ज)	450.00
	योग : ख	261474.62
ग - आर्थिक सेवायें		
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्य कलाप		
2401 - फसल कृषि कर्म	10	54.03
	81	600.00
	83	15000.00
	11	138720.00
	योग : 2401	154374.03
2402 - मृदा तथा जल संरक्षण	83	0.02
	11	0.09
	योग : 2402	0.11
2403 - पशु पालन	83	235.30
	81	491.67
	15	1352.31
	योग : 2403	2079.28
2404 - डेरी विकास	16	500.00
	योग : 2404	500.00
2406 - वानिकी तथा वन्य जीव	81	2.68

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	83	93.74
	60	270.04
योग : 2406		366.46
योग : (क)		157319.88
(ख) ग्राम विकास		
2501 - ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम		
	13	13107.66
	81	25203.84
योग : 2501		38311.50
2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम		
	13	20.94
	81	3575.00
	83	155705.00
	14	660972.81
योग : 2515		820273.75
योग : (ख)		858585.25
(घ) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण		
2702 - लघु सिंचाई		
	13	750.00
योग : 2702		750.00
योग : (घ)		750.00
(ङ) ऊर्जा		
2801 - बिजली		
	09	210000.00
योग : 2801		210000.00
2810 - अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत		
	70	4150.00
योग : 2810		4150.00
योग : (ङ)		214150.00
(च) उद्योग तथा खनिज		
2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग		
	06	0.01
योग : 2851		0.01
2852 - उद्योग		
	24	50000.00
योग : 2852		50000.00
2885 - उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय		
	07	10000.00

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
	योग : 2885	10000.00
	योग : (च)	60000.01
(झ) विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण		
3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	70	293.56
	योग : 3425	293.56
	योग : (झ)	293.56
(ज) सामान्य आर्थिक सेवायें		
3451 - सचिवालय आर्थिक सेवायें	40	308.00
	योग : 3451	308.00
3454 - जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	40	7.57
	योग : 3454	7.57
3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें	65	500.00
	योग : 3475	500.00
	योग : (ज)	815.57
	योग : ग -	1291914.27
	राजस्व लेखा	1954339.38
पूँजीगत लेखा		
क - सामान्य सेवाओं का पूँजीगत लेखा		
4055 - पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	26	25274.85
	योग : 4055	25274.85
4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	78	258.00
	68	487.43
	86	1100.00
	41	5000.00
	42	7715.12
	योग : 4059	14560.55
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	37	80000.00
	योग : 4070	80000.00
	योग : क -	119835.40
ख - सामाजिक सेवाओं का पूँजीगत लेखा		

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
(क) शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति का पूंजीगत लेखा		
4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय		
	83	30.15
	92	1400.02
	72	2500.00
	73	2536.23
योग : 4202		6466.40
योग : (क)		6466.40
(ख) स्वास्थ्य तथा कल्याण पर पूंजीगत लेखा		
4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय		
	33	498.71
	31	1054.95
योग : 4210		1553.66
4211 - परिवार कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय		
	81	2808.21
योग : 4211		2808.21
योग : (ख)		4361.87
(ग) जलपूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास का पूंजीगत लेखा		
4215 - जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय		
	83	3550.00
	13	11450.00
योग : 4215		15000.00
4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय		
	81	120.10
	78	231.00
	37	2000.00
योग : 4216		2351.10
4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय		
	02	500.00
योग : 4217		500.00
योग : (ग)		17851.10
(घ) समाज कल्याण तथा पोषण का पूंजीगत लेखा		
4235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय		
	79	500.00
	49	4000.00
योग : 4235		4500.00
योग : (घ)		4500.00
(ज) अन्य समाज सेवाओं का पूंजीगत लेखा		

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	26	2652.00
योग : 4250		2652.00
योग : (अ)		2652.00
योग : ख -		35831.37
ग - आर्थिक सेवाओं के पूंजीगत लेखे		
(क) कृषि तथा सम्बद्ध कार्यकलापों का पूंजीगत लेखा		
4401 - फसल कृषि-कर्म पर पूंजीगत परिव्यय	11	0.01
	10	653.36
योग : 4401		653.37
4403 - पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय	81	8.33
	83	16.67
	15	3493.33
योग : 4403		3518.33
4405 - मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय	17	96.13
योग : 4405		96.13
4406 - वानिकी तथा वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	81	3.32
	10	100.00
	83	113.26
	60	133.74
योग : 4406		350.32
योग : (क)		4618.15
(ख) ग्राम विकास का पूंजीगत लेखा		
4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	83	185.00
	14	800.00
	13	55360.00
योग : 4515		56345.00
योग : (ख)		56345.00
(ग) विशेष क्षेत्र कार्यक्रम का पूंजीगत लेखा		
4575 - अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	40	975.00
योग : 4575		975.00
योग : (ग)		975.00

अनुपूरक अनुदान में धनराशि का शीर्षवार विवरण

(₹लाख में)

लेखा शीर्ष	अनुदान/क्रम-संख्या	धनराशि
(ड) उर्जा का पूंजीगत लेखा		
4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	09	513335.10
योग : 4801		513335.10
योग : (ड)		513335.10
(छ) परिवहन का पूंजीगत लेखा		
5053 - नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय	38	80500.00
योग : 5053		80500.00
5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	83	420.00
	57	1580.00
	58	22500.00
	07	50000.00
	40	75000.00
योग : 5054		149500.00
योग : (छ)		230000.00
(ज) सामान्य आर्थिक सेवाओं का पूंजीगत लेखा		
5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय	44	3000.00
योग : 5452		3000.00
योग : (ज)		3000.00
योग : ग -		808273.25
पूंजीगत लेखा		963940.02
च - कर्ज तथा उधार		
6801 - बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज	09	61545.00
योग : 6801		61545.00
6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज	24	503500.00
योग : 6860		503500.00
च - कर्ज तथा उधार		565045.00
योग : समेकत निधि		3483324.40

अनुदान संख्या 001

आबकारी विभाग

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 1-6 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	21564.18	...	21564.18
	भारित	20.00	...	20.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	200.00	...	200.00
	भारित
	मतदेय	21764.18	...	21764.18
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	भारित	20.00	...	20.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2039 - राज्य उत्पाद शुल्क

001 - निदेशन तथा प्रशासन

06 - कम्प्यूटरीकरण एवं आन लाइन एक्साइज मैनेजमेन्ट सिस्टम की स्थापना

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

200.00

योग : 06

200.00

योग : 001

200.00

योग : 2039

200.00

योग : राजस्व लेखा

200.00

योग : अनुपूरक

200.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. कम्प्यूटरीकरण एवं ऑनलाइन एक्साइज मैनेजमेंट सिस्टम की स्थापना से संबंधित कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर के क्रय हेतु रुपये 20000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 002

आवास विभाग

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 7-23 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	48686.93	113634.00	162320.93
	भारित	67.82	233.04	300.86
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	500.00	500.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	48686.93	114134.00	162820.93
	भारित	67.82	233.04	300.86

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय

60 - अन्य शहरी विकास योजनायें

800 - अन्य व्यय

03 - उ० प्र० भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा) के भवन का निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य

500.00

योग : 03

500.00

योग : 800

500.00

योग : 60

500.00

योग : 4217

500.00

योग : पूँजी लेखा

500.00

योग : अनुपूरक

500.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश भू-सम्पदा विनियामक प्राधिकरण के भवन निर्माण हेतु रुपये 50000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 006

उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 49-54 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	24193.60	19.01	24212.61
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	0.01	...	0.01
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	24193.61	19.01	24212.62
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2851 - ग्राम तथा लघु उद्योग

103 - हथकरघा उद्योग

08 - संत कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना

42 - अन्य व्यय

0.01

योग : 08

0.01

योग : 103

0.01

योग : 2851

0.01

योग : राजस्व लेखा

0.01

योग : अनुपूरक

0.01

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. सन्त कबीर राज्य हथकरघा पुरस्कार योजना हेतु रुपये 1000/- की प्रतीक आवश्यकता | आवश्यकतानुसार, धनराशि अनुदान में होने वालीसंभावित बचतो से वहन की जाएगी |

अनुदान संख्या 007

उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 55-67 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	212245.03	305650.27	517895.30
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	10000.00	50000.00	60000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	222245.03	355650.27	577895.30
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2885 - उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय

60 - अन्य

800 - अन्य व्यय

03 - एन 0 आर 0 आई 0 सेल का गठन

42 - अन्य व्यय

10000.00

योग : 03

10000.00

योग : 800

10000.00

योग : 60

10000.00

योग : 2885

10000.00

योग : राजस्व लेखा

10000.00

पूँजी लेखा-----

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय

03 - राज्य राजमार्ग

337 - सड़क निर्माण कार्य

08 - बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस - वे के साथ डिफेन्स कॉरिडोर परियोजना

24 - वृहत् निर्माण कार्य

50000.00

योग : 08

50000.00

योग : 337

50000.00

	धनराशि
योग : 03	50000.00
योग : 5054	50000.00
योग : पूँजी लेखा	50000.00
योग : अनुपूरक	60000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. दिनांक 21-23 जनवरी 2019 को आयोजनीय प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम के आयोजन हेतु रूपये 1000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. बुदेलखंड एक्सप्रेस- वे के साथ डिफेंस कॉरिडोर विकसित किए जाने हेतु रूपये 5000000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 009

ऊर्जा विभाग

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 1)के पृष्ठ संख्या 77-90 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1270892.25	1050430.89	2321323.14
	भारित	430311.78	5914.86	436226.64
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	210000.00	574880.10	784880.10
	भारित	1550.72	...	1550.72
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1480892.25	1625310.99	3106203.24
	भारित	431862.50	5914.86	437777.36

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2049 - ब्याज अदायगियां

01 - आन्तरिक ऋण पर ब्याज

200 - अन्य आन्तरिक ऋणों पर ब्याज

03 - राजीव ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से प्राप्त ऋण पर ब्याज

32 - ब्याज/लाभांश

मतदेय	--
भारित	1550.72

योग : 03	मतदेय	--
	भारित	1550.72

योग : 200	मतदेय	--
	भारित	1550.72

योग : 01	मतदेय	--
	भारित	1550.72

योग : 2049	मतदेय	--
	भारित	1550.72

2801 - बिजली

05 - संचरण एवं वितरण

800 - अन्य व्यय

04 - उ.प्र. पावर कारपोरेशन लि. को क्षतिपूर्ति अनुदान

27 - सब्सिडी

150000.00

योग : 04	150000.00
----------	-----------

10 - उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0 को विद्युत कर की भुगतान की गयी धनराशि के विस्तृत राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान

27 - सब्सिडी

60000.00

धनराशि	
योग : 10	60000.00
योग : 800	210000.00
योग : 05	210000.00
योग : 2801	210000.00
योग : राजस्व लेखा	मतदेय
	भारित
	210000.00
	1550.72

पूँजी लेखा-----

4801 - बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

05 - संचरण तथा वितरण

190 - सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

04 - समन्वित विद्युत विकास योजना (आई 0 पी0 डी0 एस 0) के अन्तर्गत वितरण कार्यो हेतु अंशपूँजी (के.60/रा.10/नि.30-के.)

30 - निवेश/ऋण 4163.10

योग : 04 4163.10

05 - " उदय " योजना के अन्तर्गत निर्गत सरकारी प्रतिभूतियों से प्राप्त धनराशि का यू 0 पी 0 पी 0 सी 0 एल 0 को अन्तरण

30 - निवेश/ऋण 489172.00

योग : 05 489172.00

06 - उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि 0 को वितरण हानियों एवं विद्युत चोरी को कम करने हेतु भूमिगत केबल कार्य हेतु अंशपूँजी

30 - निवेश/ऋण 15000.00

योग : 06 15000.00

योग : 190 508335.10

योग : 05 508335.10

06 - ग्रामीण विद्युतीकरण

190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश

09 - 33/11 के 0 वी 0 उपकेन्द्रों पर कैपेसिटर बैंक्स की स्थापना (के.75/रा.25-रा.)

30 - निवेश/ऋण 5000.00

योग : 09 5000.00

योग : 190 5000.00

योग : 06 5000.00

योग : 4801 513335.10

6801 - बिजली परियोजनाओं के लिये कर्ज

		धनराशि
190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज		
04 - एफ.आर.पी. 2012 योजनान्तर्गत निर्गत अवशेष बन्ध पत्रों के भुगतान हेतु उ 0 प्र 0 पावर कारपोरेशन को ऋण		
30 - निवेश/ऋण		61545.00
योग : 04		61545.00
योग : 190		61545.00
योग : 6801		61545.00
योग : पूँजी लेखा		574880.10
योग : अनुपूरक		784880.10
	मतदेय	1550.72
	भारित	

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राजीव ग्रामीण विद्युतीकरण योजनान्तर्गत आर.ई.सी. से प्राप्त ऋण पर ब्याज के भुगतान हेतु रुपये 155072000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान हेतु रुपये 15000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को विद्युत कर की भुगतान की गई धनराशि के विस्तृत राजस्व क्षतिपूर्ति अनुदान उपलब्ध कराए जाने हेतु रुपये 6000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. समन्वित विद्युत विकास योजना (आई.पी.डी.एस.) हेतु रुपये 416310000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. “ उदय ” योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्गत प्रतिभूति के सापेक्ष निर्गत अनुदान की धनराशि को अंशपूँजी में परिवर्तित किए जाने हेतु रुपये 48917200000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड को, वितरण हानियों एवं विद्युत चोरी को कम करने हेतु भूमिगत केबल कार्य हेतु, अंशपूँजी के रूप में रुपये 1500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. विद्युत वितरण क्षेत्र में 33/11 के.वी. उप केंद्रों पर कैपिसिटर बैंक की स्थापना हेतु रुपये 500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. एफ.आर. पी. 2012 योजनान्तर्गत निर्गत अवशेष बंध पत्रों के भुगतान हेतु उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन को ऋण हेतु रुपये 6154500000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 010

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्योगिक एवं रेशम विकास)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 1-23 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	62065.28	691.22	62756.50
	भारित	195.39	5.50	200.89
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	50.13	750.00	800.13
	भारित	3.90	3.36	7.26
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	62115.41	1441.22	63556.63
	भारित	199.29	8.86	208.15

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2401 - फसल कृषि कर्म

119 - बागवानी तथा वनस्पति की फसलें

03 - नर्सरी

0304 - राजभवन के उद्यानों का अनुरक्षण

06 - अन्य भते

मतदेय

--

भारित

1.90

49 - चिकित्सा व्यय

मतदेय

--

भारित

2.00

योग : 0304 मतदेय

--

भारित

3.90

0314 - राजकीय अलंकृत उद्यान रोज गार्डन चन्द्रभानपुर, मऊ का पुनरोद्धार

02 - मजदूरी

7.30

42 - अन्य व्यय

29.51

43 - सामग्री एवं सम्पूति

13.19

योग : 0314

50.00

योग : 03 मतदेय

50.00

भारित

3.90

04 - फल

0418 - उ 0 प्र 0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति - 2017

	धनराशि
04 - यात्रा व्यय	0.01
08 - कार्यालय व्यय	0.01
09 - विद्युत देय	0.01
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.01
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0.01
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0.01
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.01
18 - प्रकाशन	0.01
27 - सन्सिडी	0.01
42 - अन्य व्यय	0.01
44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.01
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	0.01
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.01
योग : 0418	0.13
योग : 04	0.13
योग : 119	50.13
भारित	3.90
योग : 2401	50.13
भारित	3.90
योग : राजस्व लेखा	50.13
भारित	3.90

पूँजी लेखा-----

4401 - फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय

119 - बागवानी तथा वनस्पति फसलें

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0101 - राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन योजना (के.60/रा.40 के+रा)

24 - वृहत् निर्माण कार्य 492.00

26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र 8.00

योग : 0101 500.00

योग : 01 500.00

03 - नर्सरी

0302 - राजभवन के उद्यानों का अनुरक्षण

		धनराशि
24 - वृहत् निर्माण कार्य	मतदेय	--
	भारित	3.36
योग : 0302	मतदेय	--
	भारित	3.36
0303 - राजकीय अलंकृत उद्यान रोज गार्डेन चन्द्रभानपुर, मऊ का पुनरोद्धार		
24 - वृहत् निर्माण कार्य		150.00
योग : 0303		150.00
योग : 03	मतदेय	150.00
	भारित	3.36
योग : 119	मतदेय	650.00
	भारित	3.36
योग : 4401	मतदेय	650.00
	भारित	3.36
4406 - वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय		
02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव		
112 - सार्वजनिक उद्यान		
07 - राजकीय उद्यान गोरखपुर का जीर्णोद्धार		
24 - वृहत् निर्माण कार्य		100.00
योग : 07		100.00
योग : 112		100.00
योग : 02		100.00
योग : 4406		100.00
योग : पूँजी लेखा	मतदेय	750.00
	भारित	3.36
योग : अनुपूरक	मतदेय	800.13
	भारित	7.26

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राजभवन के उद्यानों का अनुरक्षण हेतु राजस्व पक्ष में रुपये 390000/- तथा पूँजीगत पक्ष में रुपये 336000/- अर्थात् कुल रुपये 726000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राजकीय अलंकृत उद्यान रोज गार्डेन चंद्रभानपुर, मऊ का पुनरोद्धार हेतु राजस्व पक्ष में रुपये 5000000/- तथा पूँजीगत पक्ष में रुपये 15000000/- अर्थात् कुल रुपये 20000000 की आवश्यकता ।
3. उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के क्रियान्वयन के लिए विभिन्न मदों हेतु कुल रुपये 13000 का प्रतीक व्यवस्था | आवश्यकतानुसार धनराशि अनुदान में हो रही संभावित बचतों से वहन की जायेगी ।
4. राष्ट्रीय औद्योगिक मिशन योजना हेतु रुपये 50000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

5. राष्ट्रीय उद्यान, गोरखपुर का जीणेद्वार हेतु रूपये 10000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 011

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 25-66 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	744821.28	60582.91	805404.19
	भारित	20.05	...	20.05
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	138720.09	0.01	138720.10
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	883541.37	60582.92	944124.29
	भारित	20.05	...	20.05

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2401 - फसल कृषि कर्म

109 - विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0102 - नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलाजी (एन.एम.ए.ई.टी.) के अन्तर्गत क्रियेशन ऑफ सीड इन्फ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज (के.60/रा.40-के.+रा.)

35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान 4320.00

योग : 0102 - 4320.00

योग : 01 4320.00

योग : 109 4320.00

115 - छोटे/उपान्तक किसानों तथा कृषि श्रम की योजना

03 - लघु तथा सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 134400.00

योग : 03 134400.00

योग : 115 134400.00

योग : 2401 138720.00

2402 - मृदा तथा जल संरक्षण

102 - मृदा संरक्षण

03 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

0301 - वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना (के.60/रा.40.-के.+रा.)

	धनराशि
04 - यात्रा व्यय	0.01
08 - कार्यालय व्यय	0.01
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	0.01
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0.01
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	0.01
27 - सॉफ्टवेयर	0.01
42 - अन्य व्यय	0.01
44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.01
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	0.01
योग : 0301	0.09
योग : 03	0.09
योग : 102	0.09
योग : 2402	0.09
योग : राजस्व लेखा	138720.09

पूँजी लेखा-----

4401 - फसल कृषि-कर्म पर पूँजीगत परिव्यय

107 - वनस्पति संरक्षण

04 - विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट/रोग नियंत्रण

24 - वृहत् निर्माण कार्य

योग : 04	0.01
योग : 107	0.01
योग : 4401	0.01
योग : पूँजी लेखा	0.01
योग : अनुपूरक	138720.10

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. नेशनल मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी के सब मिशन ऑन सीड्स एंड प्लांटिंग योजनान्तर्गत क्रिएशन सीड इंफ्रास्ट्रक्चर हेतु रुपये 432000000 की आवश्यकता ।
2. लघु तथा सीमान्त कृषकों के फसली ऋण मोचन योजना हेतु रुपये 13440000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत (पर ड्रॉप मोर क्रॉप अदर- इंटरवेशन) के अंतर्गत खेत, तालाब एवं स्प्रेकलर सिंचाई प्रणाली योजना के क्रियान्वयन हेतु रुपये 9000/- का प्रतीक व्यवस्था आवश्यकतानुसार धनराशि अनुदान में हो रही संभावित बचतों से वहन की जाएगी

4. विभिन्न पारिस्थितिकीय संसाधनों द्वारा कीट / रोग नियंत्रण योजना हेतु रुपये 1000/- का प्रतीक व्यवस्था | आवश्यकतानुसार धनराशि अनुदान में हो रही संभावित बचतों से वहन की जाएगी

अनुदान संख्या 013

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 71-99 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	327827.68	1645412.44	1973240.12
	भारित	12.50	...	12.50
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	13878.60	66810.00	80688.60
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	341706.28	1712222.44	2053928.72
	भारित	12.50	...	12.50

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2501 - ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम

01 - समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम

800 - अन्य व्यय

02 - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

0201 - स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना (जिला योजना) (के.60/रा.40-के.+रा.)

27 - सब्सिडी

13107.66

योग : 0201 -

13107.66

योग : 02

13107.66

योग : 800

13107.66

योग : 01

13107.66

योग : 2501

13107.66

2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

800 - अन्य व्यय

06 - यू0 पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि0 द्वारा बी0 पी0 एल 0 सर्वे हेतु आपूर्तित सॉफ्टवेयर / हार्डवेयर के लम्बित देयकों का भुगतान

42 - अन्य व्यय

20.94

योग : 06

20.94

योग : 800

20.94

योग : 2515

20.94

2702 - लघु सिंचाई**80 - सामान्य****800 - अन्य व्यय****01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ****0102 - निजी लघु सिंचाई कार्यों की संगणना (के. 100/रा.00-के.)****42 - अन्य व्यय**

धनराशि

700.00

योग : 0102

700.00

योग : 01

700.00

03 - लघु सिंचाई योजना**46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय**

50.00

योग : 03

50.00

योग : 800

750.00

योग : 80

750.00

योग : 2702

750.00

योग : राजस्व लेखा

13878.60

पूँजी लेखा-----

4215 - जलपूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय**01 - जलपूर्ति****102 - ग्रामीण जल पूर्ति****07 - मुख्यमंत्री आर 0 ओ 0 पेयजल योजना****24 - वृहत् निर्माण कार्य**

3950.00

योग : 07

3950.00

08 - बुन्देलखण्ड, विन्ध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल योजना**24 - वृहत् निर्माण कार्य**

7500.00

योग : 08

7500.00

योग : 102

11450.00

योग : 01

11450.00

योग : 4215

11450.00

4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय**102 - सामुदायिक विकास**

	धनराशि
02 - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना	
0201 - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)	
42 - अन्य व्यय	10000.00
योग : 0201	10000.00
योग : 02	10000.00
योग : 102	10000.00
800 - अन्य व्यय	
03 - विधायक निधि	
42 - अन्य व्यय	25200.00
योग : 03	25200.00
04 - विधायक निधि से कराये गये कार्यो पर जी0 एस 0 टी0 की प्रतिपूर्ति	
42 - अन्य व्यय	20160.00
योग : 04	20160.00
योग : 800	45360.00
योग : 4515	55360.00
योग : पूँजी लेखा	66810.00
योग : अनुपूरक	80688.60

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन योजना के अंतर्गत स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (जिला योजना) हेतु रुपये 1310766000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. यू.पी. इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा बी.पी.एल. सर्वे हेतु आपूर्तित सॉफ्टवेयर/ हार्डवेयर के लम्बित देयको के भुगतान हेतु रुपये 2094000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. निजी लघु सिंचाई कार्यो की संगणना हेतु रुपये 70000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. लघु सिंचाई योजनान्तर्गत ई-गवर्नेंस की स्थापना हेतु रुपये 5000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. मुख्यमंत्री आर.ओ. पेयजल योजना हेतु रुपये 395000000 की आवश्यकता ।
6. बुन्देलखण्ड, विंध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल योजना का क्रियान्वयन हेतु रुपये 750000000 की आवश्यकता ।
7. महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अन्तर्गत अवशेष मानदेय के भुगतान हेतु रुपये 1000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. विधानमंडल क्षेत्र विकास निधि (विधायक निधि) हेतु रुपये 2520000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
9. विधायक निधि से कराए गए कार्यो पर जी.एस.टी. की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 2016000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 014

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 101-115 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1409378.03	13382.16	1422760.19
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	662119.23	800.00	662919.23
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	2071497.26	14182.16	2085679.42
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें

800 - अन्य व्यय

03 - प्रादेशिक विकास दल

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

18.81

42 - अन्य व्यय

1110.00

योग : 03

1128.81

05 - प्रांतीय रक्षक दल एवं युवा कल्याण विभाग में मा. उच्च न्यायालय के आदेशों से कार्यरत कर्मचारियों का भुगतान

01 - वेतन

11.50

03 - मंहगाई भत्ता

0.60

06 - अन्य भत्ते

0.01

52 - पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)

5.50

योग : 05

17.61

योग : 800

1146.42

योग : 2070

1146.42

2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

101 - पंचायती राज

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0103 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालयों का निर्माण (जिला योजना)(के.60/रा.40-के.+रा.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

390720.00

		धनराशि
योग : 0103		390720.00
0104 - राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आर 0 जी0 एस 0 ए 0) (के.60/रा.40-के.+रा.)		
42 - अन्य व्यय		20000.00
योग : 0104		20000.00
योग : 01		410720.00
09 - उ 0 प्र 0 पंचायतीराज वित्त एवं विकास निगम लि0 की लम्बित देनदारियों का भुगतान		
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)		3.48
योग : 09		3.48
22 - जिला पंचायतों में कांजी हाउसों का पुनर्निर्माण / स्थापना एवं संचालन		
42 - अन्य व्यय		200.00
योग : 22		200.00
योग : 101		410923.48
198 - ग्राम पंचायतों को सहायता		
04 - चौदहवें वित्त आयोग		
0401 - सामान्य बुनियादी अनुदान		
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)		250049.33
योग : 0401		250049.33
योग : 04		250049.33
योग : 198		250049.33
योग : 2515		660972.81
योग : राजस्व लेखा		662119.23
पूँजी लेखा-----		
4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय		
101 - पंचायती राज		
10 - जिला पंचायतों में कांजी हाउसों का पुनर्निर्माण / स्थापना एवं संचालन		
24 - वृहत् निर्माण कार्य		800.00
योग : 10		800.00

	धनराशि
योग : 101	800.00
योग : 4515	800.00
योग : पूँजी लेखा	800.00
योग : अनुपूरक	662919.23

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रादेशिक विकास दल योजनान्तर्गत व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं के लिए भुगतान पर व्यय हेतु रुपये 1881000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. प्रादेशिक विकास दल योजनान्तर्गत युवक एवं महिला मंगल दलों को प्रोत्साहन हेतु रुपये 111000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु प्रांतीय रक्षक दल एवं युवा कल्याण विभाग में कार्यरत कार्मिकों के वेतनादि मद पर व्यय हेतु रुपये 1761000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अंतर्गत शौचालयों का निर्माण हेतु रुपये 39072000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वराज अभियान (आर.जी.एस.ए.) पंचायतों एवं ग्राम सभा की क्षमता व प्रभावशीलता में अभिवृद्धि तथा सुदृढीकरण हेतु रुपये 2000000000 की आवश्यकता ।
6. उत्तर प्रदेश पंचायती राज वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड की लम्बित देनदारियों के भुगतान हेतु रुपये 348000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. जिला पंचायतों में कांजी हाउस के पुनर्निर्माण/ स्थापना एवं संचालन हेतु रुपये 100000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. 14 वे वित्त आयोग में प्रावधानित धनराशि में से हुए अपरिहार्य आहरण की प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 25004933000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 015

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 117-137 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	153034.69	15770.44	168805.13
	भारित	13.79	...	13.79
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1352.31	3493.33	4845.64
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	154387.00	19263.77	173650.77
	भारित	13.79	...	13.79

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2403 - पशु पालन

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - निदेशालय

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	45.00
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5.00

योग : 03 50.00

योग : 001 50.00

102 - पशु तथा भैस विकास

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0104 - पशुपालन विभाग के कर्मियों के, पैरावेटरनी कार्यकर्ताओं तथा प्रगतिशील पशुपालको का प्रशिक्षण एवं दक्षता निर्माण
(के.60/रा.40.के.+रा.)

04 - यात्रा व्यय	8.16
18 - प्रकाशन	3.50
44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	139.14

योग : 0104 - 150.80

योग : 01 150.80

योग : 102 150.80

103 - कुक्कुट विकास

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0105 - स्ल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेंट योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)

	धनराशि	
27 - सन्धिडी	942.19	
योग : 0105	942.19	
योग : 01	942.19	
योग : 103	942.19	
800 - अन्य व्यय		
06 - पं. दीन दयाल पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ-अनुसंधान संस्थान, मथुरा		
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	209.32	
योग : 06	209.32	
योग : 800	209.32	
योग : 2403	1352.31	
योग : राजस्व लेखा	1352.31	
पूँजी लेखा-----		
4403 - पशुपालन पर पूंजीगत परिव्यय		
101 - पशु चिकित्सा सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य		
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ		
0104 - पशुचिकित्सालयों / पशु सेवा केन्द्रों का सुदृढीकरण (के.60/रा.40-के.+रा.)		
24 - बृहत् निर्माण कार्य	35.00	
योग : 0104	35.00	
योग : 01	35.00	
02 - राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य तथा रोग नियंत्रण कार्यक्रम		
0202 - डिजीज फ्री जोन की स्थापना (के.60/रा.40-के.+ रा)		
24 - बृहत् निर्माण कार्य	58.33	
योग : 0202	58.33	
योग : 02	58.33	
योग : 101	93.33	
800 - अन्य व्यय		
04 - गो-संरक्षण केन्द्रों की स्थापना		
24 - बृहत् निर्माण कार्य	3400.00	

	धनराशि
योग : 04	3400.00
योग : 800	3400.00
योग : 4403	3493.33
योग : पूँजी लेखा	3493.33
योग : अनुपूरक	4845.64

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. पशुपालन विभाग के विभागाध्यक्ष तथा जनपद स्तरीय कार्यालयों के लिए ई - ऑफिस प्रणाली लागू किए जाने हेतु रुपये 5000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. पशुपालन विभाग के कर्मियों, पैरावैटरनरी कार्यकर्ताओं तथा प्रगतिशील पशुपालकों का प्रशिक्षण एवं दक्षता निर्माण हेतु रुपये 15080000 की आवश्यकता ।
3. सरल बैकयाई पोल्ट्री डेवलपमेंट योजना हेतु रुपये 94219000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. पं० दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एव गो-अनुसंधान संस्थान, मथुरा के आंतरिक मार्गों की सड़कों की मरम्मत एवं नवीनीकरण हेतु रुपये 20932000 का अतिरिक्त अनुदान ।
5. पशु चिकित्सालयों / पशु सेवा केंद्रों का सुदृढीकरण हेतु रुपये 3500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. डिजीज फ्री जोन की स्थापना हेतु रुपये 5833000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. प्रदेश के 68 जनपदों में वृहद गो - संरक्षण केंद्रों की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में उत्तर प्रदेश आकस्मिकता निधि से लिए गए रुपये 340000000 के अग्रिम की प्रतिपूर्ति ।

अनुदान संख्या 016

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 139-144 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	9238.84	6300.02	15538.86
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	500.00	...	500.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	9738.84	6300.02	16038.86
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2404 - डेरी विकास

102 - डेरी विकास परियोजनायें

09 - उ 0 प्र 0 दुग्ध नीति - 2018

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

	500.00
योग : 09	500.00
योग : 102	500.00
योग : 2404	500.00
योग : राजस्व लेखा	500.00
योग : अनुपूरक	500.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति-2018 के क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु रुपये 50000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 017

कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 2)के पृष्ठ संख्या 145-151 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	14708.25	...	14708.25
	भारित	9.50	...	9.50
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	96.13	96.13
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	14708.25	96.13	14804.38
	भारित	9.50	...	9.50

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4405 - मछली पालन पर पूंजीगत परिव्यय

105 - संसाधन परिरक्षण तथा विपणन

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनायें

0101 - राज्य स्तरीय फिश मार्केट का निर्माण (के.50/रा.50-के +रा.)

24 - बृहत् निर्माण कार्य

96.13

योग : 0101

96.13

योग : 01

96.13

योग : 105

96.13

योग : 4405

96.13

योग : पूँजी लेखा

96.13

योग : अनुपूरक

96.13

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राज्य स्तरीय फिश मार्केट के निर्माण हेतु रुपये 9613000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 020

कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 7-12 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	3503.35	...	3503.35
	भारित	6462.95	10.00	6472.95
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय
	भारित	1486.50	...	1486.50
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	3503.35	...	3503.35
	भारित	7949.45	10.00	7959.45

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2051 - लोक सेवा आयोग

102 - राज्य लोक सेवा आयोग

03 - राज्य लोक सेवा आयोग

08 - कार्यालय व्यय

	मतदेय	--
	भारित	1486.50
योग : 03	मतदेय	--
	भारित	1486.50
योग : 102	मतदेय	--
	भारित	1486.50
योग : 2051	मतदेय	--
	भारित	1486.50
योग : राजस्व लेखा	मतदेय	--
	भारित	1486.50
योग : अनुपूरक	मतदेय	--
	भारित	1486.50

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद द्वारा आयोजित परीक्षाओं के विविध व्यय हेतु रूपये 148650000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 024

गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 49-57 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	8105.11	86700.00	94805.11
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	50000.00	503500.00	553500.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	58105.11	590200.00	648305.11
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2852 - उद्योग

08 - उपभोक्ता उद्योग

201 - चीनी

09 - वित्तीय वर्ष 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कृषको को वित्तीय सहायता

27 - सब्सिडी

50000.00

योग : 09

50000.00

योग : 201

50000.00

योग : 08

50000.00

योग : 2852

50000.00

योग : राजस्व लेखा

50000.00

पूँजी लेखा-----

6860 - उपभोक्ता उद्योगों के लिये कर्ज

190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज

03 - निजी एवं निगम क्षेत्र की चीनी मिलों को बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु ऋण

30 - निवेश/ऋण

400000.00

योग : 03

400000.00

योग : 190

400000.00

04 - चीनी

101 - सहकारी चीनी मिलों के लिए कर्ज

	धनराशि
03 - उ.प्र. सहकारी चीनी मिल संघ की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कर्ज	
30 - निवेश/ऋण	101000.00
योग : 03	101000.00
योग : 101	101000.00
190 - सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों को कर्ज	
07 - उ 0 प्र 0 राज्य चीनी निगम की चीनी मिलों के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कर्ज	
30 - निवेश/ऋण	2500.00
योग : 07	2500.00
योग : 190	2500.00
योग : 04	103500.00
योग : 6860	503500.00
योग : पूँजी लेखा	503500.00
योग : अनुपूरक	553500.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रदेश की चीनी मिलों (सहकारी / निगम एवं निजी क्षेत्र) पर पेराई सत्र 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य का त्वरित एवं पूर्ण भुगतान कराए जाने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता हेतु रुपये 5000000000 की आवश्यकता ।
2. प्रदेश की चीनी (निजी एवं निगम क्षेत्र) पर पेराई सत्र 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य का त्वरित एवं पूर्ण भुगतान कराए जाने के लिए सॉफ्ट लोन दिए जाने हेतु रुपये 40000000000 की आवश्यकता ।
3. उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल संघ लिमिटेड की पेराई सत्र 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु कुल रुपये 10100000000 करोड़ की अतिरिक्त आवश्यकता जिसमें पेराई सत्र 2016-17 के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम रुपये 1250000000 की प्रतिपूर्ति सम्मिलित है ।
4. चीनी निगम को पेराई सत्र 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान हेतु रुपये 250000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 026

गृह विभाग (पुलिस)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 71-118 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1648740.72	64780.70	1713521.42
	भारित	74.00	...	74.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	67827.07	27926.85	95753.92
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1716567.79	92707.55	1809275.34
	भारित	74.00	...	74.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2055 - पुलिस

101 - आपराधिक अन्वेषण और सतर्कता

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

0101 - एम-पासपोर्ट एप को प्रदेश पुलिस में लागू करने हेतु (के.100/रा.0-के.)

42 - अन्य व्यय

1000.00

योग : 0101 -

1000.00

योग : 01

1000.00

04 - अनुसंधान अनुभाग--

0409 - सुरक्षा शाखा

15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद

160.00

योग : 0409 -

160.00

योग : 04

160.00

योग : 101

1160.00

109 - जिला पुलिस

03 - जिला पुलिस (मुख्य)

01 - वेतन

43300.00

योग : 03

43300.00

04 - राज्य रेडियो अनुभाग- मुख्य-

	धनराशि	
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	500.07	
		योग : 04
	500.07	
10 - सी0 सी0 टी0 एन 0 एस 0 योजना		
42 - अन्य व्यय	1500.00	
		योग : 10
	1500.00	
13 - डायल-100 परियोजना		
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	2000.00	
		योग : 13
	2000.00	
		योग : 109
	47300.07	
116 - न्यायालयिक विज्ञान		
03 - विधि विज्ञान प्रयोगशालायें		
08 - कार्यालय व्यय	250.00	
		योग : 03
	250.00	
		योग : 116
	250.00	
800 - अन्य व्यय		
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ		
0102 - स्टूडेंट पुलिस कैडेट (के.60/रा.40-के.+रा.)		
42 - अन्य व्यय	1307.00	
		योग : 0102
	1307.00	
		योग : 01
	1307.00	
05 - लोकसभा निर्वाचन		
04 - यात्रा व्यय	2800.00	
08 - कार्यालय व्यय	92.25	
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	57.70	
13 - टेलीफोन पर व्यय	35.00	
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	15.05	
42 - अन्य व्यय	7000.00	
		योग : 05
	10000.00	
16 - कुम्भ-2019, इलाहाबाद		
02 - मजदूरी	96.90	
04 - यात्रा व्यय	3476.23	

	धनराशि
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	4.84
08 - कार्यालय व्यय	239.82
09 - विद्युत देय	1.74
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	29.55
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	64.44
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	242.25
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	1.74
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	139.10
29 - अनुरक्षण	34.30
40 - औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	1.16
42 - अन्य व्यय	654.55
44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	10.47
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.91
योग : 16	5000.00
योग : 800	16307.00
योग : 2055	65017.07

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

200 - अन्य कार्यक्रम

09 - सेन्ट्रल विक्टिम कंपनसेशन फंड स्कीम के अन्तर्गत तेजाब हमलों, बलात्कार, मानव तस्करी तथा हत्या के प्रकरणों में आर्थिक सहायता

42 - अन्य व्यय	2810.00
योग : 09	2810.00
योग : 200	2810.00
योग : 60	2810.00
योग : 2235	2810.00
योग : राजस्व लेखा	67827.07

पूँजी लेखा-----

4055 - पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय

207 - राज्य पुलिस

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0105 - साइबर क्राइम प्रिवेन्शन अगेन्स्ट वीमेन एण्ड चिल्ड्रेन (सी0 सी0 पी0 डब्लू0 सी0) (के.100/रा.0-के.)

	धनराशि
42 - अन्य व्यय	490.85
योग : 0105	490.85
0106 - सेफ सिटी, लखनऊ (के.60/रा.40-के.+रा.)	
42 - अन्य व्यय	3000.00
योग : 0106	3000.00
योग : 01	
	3490.85
07 - पुलिस भवन का निर्माण	
24 - बृहत् निर्माण कार्य	15000.00
योग : 07	15000.00
योग : 207	18490.85
211 - पुलिस आवास	
07 - केन्द्रीय पुलिस बल (आर.ए.एफ./सी.आर.पी.एफ.)/ राज्य पुलिस बल के भवनों के लिए भूमि क्रय आदि	
24 - बृहत् निर्माण कार्य	5000.00
योग : 07	5000.00
योग : 211	5000.00
800 - अन्य व्यय	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0105 - इमेरजेन्सी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम (के.100/रा.0-के.)	
42 - अन्य व्यय	15.00
योग : 0105	15.00
0106 - मादक/नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम (के.100/रा.0-के.)	
42 - अन्य व्यय	116.00
योग : 0106	116.00
योग : 01	
	131.00
06 - सुरक्षा व्यवस्था	
14 - मोटर गाड़ियों का क्रय	1653.00
योग : 06	1653.00

	धनराशि
योग : 800	1784.00
योग : 4055	25274.85

4250 - अन्य समाज सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय

101 - प्राकृतिक आपदाएं

03 - एस 0 डी0 आर 0 एफ 0

0302 - वाहन, मशीन, सयन्त्र एवं उपकरण आदि का क्रय

26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र

	2652.00
योग : 0302	2652.00
योग : 03	2652.00
योग : 101	2652.00
योग : 4250	2652.00
योग : पूंजी लेखा	27926.85
योग : अनुपूरक	95753.92

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. भारत सरकार द्वारा विकसित कराए गए "एम- पासपोर्ट ऐप " को प्रदेश पुलिस में क्रियाशील कराने के उद्देश्य पासपोर्ट वेरिफिकेशन इंसेंटिव हेतु रुपये 100000000 की आवश्यकता ।
2. अति विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा फ्लीट वाहनों के क्रय एवं पेट्रोल इत्यादि हेतु रुपये 181300000 की आवश्यकता ।
3. जिला पुलिस मुख्यालय के वेतन मद हेतु रुपये 4330000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. रेडियो मुख्यालय में जी.पी.एस. सैटेलाइट फोन आदि के क्रय हेतु रुपये 50007000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. सी.सी. टी. एन. एस. योजना में उपकरणों के क्रय एवं अन्य देयताओं हेतु रुपये 150000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. डायल-100 परियोजना के विभिन्न मानक मदों हेतु रुपये 200000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. विधि प्रयोगशाला में डी.एन.ए. केसेज के परीक्षण के लिए किट / केमिकल क्रय हेतु रुपये 25000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. बच्चों एवं नव युवकों में ड्रग्स एब्यूज व्यवस्था विरोधी आक्रमकता, बाल यौनाचार तथा अन्य गंभीर अपराध के प्रति जागरूकता पैदा कर इनकी रोकथाम हेतु रुपये 130700000 की आवश्यकता ।
9. लोकसभा चुनाव-2019 के विविध व्यय हेतु रुपये 1000000000 की आवश्यकता ।
10. कुंभ मेला-2019 इलाहाबाद के विभिन्न मदों में व्यय हेतु रुपये 500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
11. सेंट्रल विक्टिम कंपनशेसन फंड स्कीम के अन्तर्गत तेजाब हमलों, बलात्कार, मानव तस्करी तथा हत्या के प्रकरण में आर्थिक सहायता हेतु रुपये 281000000 की आवश्यकता ।
12. साइबर क्राइम प्रिवेनशन अगेंस्ट वूमेन एंड चिल्ड्रन हेतु रुपये 49085000 की आवश्यकता ।
13. निर्भया फंड के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा लखनऊ जनपद को सेफ सिटी के रूप में चयनित किए जाने के दृष्टिगत विभिन्न व्यय हेतु रुपये 300000000 की आवश्यकता ।
14. पुलिस भवनों के निर्माण हेतु रुपये 1500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
15. केंद्रीय पुलिस बल (आर.ए.एफ./सी.आर.पी.एफ.)/राज्य पुलिस भवनों के लिए जनपद मेरठ में भूमि क्रय हेतु रुपये 120000000, जनपद अमरोहा में भूमि क्रय हेतु रुपये 80000000 तथा वाराणसी में 300000000 अर्थात् कुल रुपये 500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

16. इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम के विभिन्न व्यय हेतु रूपये 1500000 की आवश्यकता ।
17. मादक नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार की रोकथाम हेतु एक सर्विलांस कम इंटरोगेशन रूम की स्थापना एवं उपकरणों के क्रय हेतु रूपये 11600000 की आवश्यकता ।
18. एस.डी.आर.एफ. के उपकरणों के क्रय हेतु रूपये 265200000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 028

गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 3)के पृष्ठ संख्या 125-133 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	27527.10	30.00	27557.10
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	2000.00	...	2000.00
	भारित
	मतदेय	29527.10	30.00	29557.10
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

800 - अन्य व्यय

03 - आपातकालीन अवधि में मीसा एवं डी.आई.आर. में बन्द प्रदेश के राजनैतिक बन्दियों को सम्मान राशि का भुगतान

42 - अन्य व्यय

2000.00

योग : 03

2000.00

योग : 800

2000.00

योग : 60

2000.00

योग : 2235

2000.00

योग : राजस्व लेखा

2000.00

योग : अनुपूरक

2000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. आपातकालीन अवधि में एवं डी.आई.आर. में बंद प्रदेश के राजनैतिक बंदियों को सम्मान राशि का भुगतान किये जाने हेतु 200000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 031

चिकित्सा विभाग (चिकित्सा, शिक्षा एवं प्रशिक्षण)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 4)के पृष्ठ संख्या 1-36 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	316336.76	157466.55	473803.31
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	1054.95	1054.95
	भारित
	मतदेय	316336.76	158521.50	474858.26
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

03 - चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

105 - एलोपैथी

66 - के0 जी0 एम 0 यू0 लखनऊ में नेशनल प्रोग्राम फार प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेंट फार बर्न इन्जरी (के.60/रा.40-के.+रा.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य 150.84

26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र 57.00

योग : 66 207.84

76 - के0 जी0 एम 0 यू0 लखनऊ में नेशनल प्रोग्राम फार दा एल्डरली (के.100/रा.0-के.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य 347.11

योग : 76 347.11

77 - जनपद बलरामपुर में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय लखनऊ का सेटेलाइट सेन्टर

24 - वृहत् निर्माण कार्य 500.00

योग : 77 500.00

योग : 105 1054.95

योग : 03 1054.95

योग : 4210 1054.95

योग : पूँजी लेखा 1054.95

योग : अनुपूरक 1054.95

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट फॉर बर्न इंजरी के संचालन हेतु रुपये 20784000 की आवश्यकता ।
2. किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर फॉर द एल्डरली के संचालन हेतु रुपये 34711000 की आवश्यकता।
3. जनपद-बलरामपुर में किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना हेतु रुपये 50000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 032

चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 4)के पृष्ठ संख्या 37-52 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	702657.05	66792.07	769449.12
	भारित	20.00	...	20.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	0.70	...	0.70
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	702657.75	66792.07	769449.82
	भारित	20.00	...	20.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम

110 - अन्य बीमा योजनायें

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

0102 - आयुष्मान भारत - नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)

42 - अन्य व्यय

0.70

योग : 0102

0.70

योग : 01

0.70

योग : 110

0.70

योग : 60

0.70

योग : 2235

0.70

योग : राजस्व लेखा

0.70

योग : अनुपूरक

0.70

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. आयुष्मान भारत- नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन के संचालन हेतु रूपये 70000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 033

चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 4)के पृष्ठ संख्या 53-67 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	106082.17	3662.70	109744.87
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	800.00	498.71	1298.71
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	106882.17	4161.41	111043.58
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

05 - चिकित्सा शिक्षा - प्रशिक्षण तथा अनुसंधान

101 - आयुर्वेद

06 - अन्य व्यय

0602 - योग पखवाड़ा एवं अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस

42 - अन्य व्यय

800.00

योग : 0602

800.00

योग : 06

800.00

योग : 101

800.00

योग : 05

800.00

योग : 2210

800.00

योग : राजस्व लेखा

800.00

पूँजी लेखा-----

4210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय

01 - शहरी स्वास्थ्य सेवायें

800 - अन्य व्यय

06 - यूनानी कालेज तथा सम्बद्ध अस्पताल

26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

498.71

	धनराशि
योग : 06	498.71
योग : 800	498.71
योग : 01	498.71
योग : 4210	498.71
योग : पूँजी लेखा	498.71
योग : अनुपूरक	1298.71

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. योग पखवाडा एवं अन्तर्राष्ट्रीय योग दिवस के आयोजन में हुए व्यय की प्रतिपूर्ति हेतु रूपये 80000000 की आवश्यकता ।
2. राजकीय तकमील उतिब कॉलेज एवं चिकित्सालय, लखनऊ के नवनिर्मित 100 शैय्या युक्त यूनानी चिकित्सालय में साज- सज्जा / उपकरणों की व्यवस्था हेतु रूपये 49871000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 034

चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 4)के पृष्ठ संख्या 69-77 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	40480.49	1790.96	42271.45
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	200.00	...	200.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	40680.49	1790.96	42471.45
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2210 - चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य

02 - शहरी स्वास्थ्य सेवायें-अन्य चिकित्सा पद्धतियां

102 - होम्योपैथी

04 - अस्पताल और औषधालय

0401 - होम्योपैथिक चिकित्सालय

29 - अनुरक्षण

200.00

योग : 0401

200.00

योग : 04

200.00

योग : 102

200.00

योग : 02

200.00

योग : 2210

200.00

योग : राजस्व लेखा

200.00

योग : अनुपूरक

200.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गाजीपुर के क्षतिग्रस्त भवनों के अनुरक्षण कार्य हेतु रुपये 10000000 तथा राजकीय के.जी.के. होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, मुरादाबाद के छात्र / छात्रा छात्रावास की मरम्मत एवं सुदृढीकरण कार्यों हेतु रुपये 10000000 अर्थात कुल रुपये 20000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 037

नगर विकास विभाग

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 1-28 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1099440.99	248910.99	1348351.98
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	6000.00	82000.00	88000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1105440.99	330910.99	1436351.98
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2070 - अन्य प्रशासनिक सेवायें

800 - अन्य व्यय

07 - कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना

35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान

2000.00

योग : 07

2000.00

योग : 800

2000.00

योग : 2070

2000.00

2215 - जल पूर्ति तथा सफाई

01 - जलपूर्ति

194 - नगर निगमों/नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों को सहायता

03 - नगरीय पेयजल योजना (एक लाख से कम जनसंख्या वाले शहर)

35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान

2500.00

योग : 03

2500.00

योग : 194

2500.00

योग : 01

2500.00

योग : 2215

2500.00

2217 - शहरी विकास

80 - सामान्य

191 - नगर निगमों को सहायता

	धनराशि
08 - शहीदों की स्मृति में पार्को / प्रदर्शनी स्थलों/ सभागार का निर्माण एवं विकास	
35 - पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	1500.00
योग : 08	1500.00
योग : 191	1500.00
योग : 80	1500.00
योग : 2217	1500.00
योग : राजस्व लेखा	6000.00
पूँजी लेखा-----	
4070 - अन्य प्रशासनिक सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय	
800 - अन्य व्यय	
06 - कुम्भ मेला 2019, इलाहाबाद	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	80000.00
योग : 06	80000.00
योग : 800	80000.00
योग : 4070	80000.00
4216 - आवास पर पूँजीगत परिव्यय	
02 - शहरी आवास	
800 - अन्य व्यय	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0101 - राजीव आवास योजना	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	2000.00
योग : 0101	2000.00
योग : 01	2000.00
योग : 800	2000.00
योग : 02	2000.00
योग : 4216	2000.00
योग : पूँजी लेखा	82000.00
योग : अनुपूरक	88000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रदेश के नगर निकायों में कान्हा गौशाला की स्थापना हेतु रुपये 200000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राज्य सेक्टर की नगरीय पेयजल योजना हेतु 01 लाख से कम जनसंख्या वाले शहरों के लिये रुपये 250000000 की आवश्यकता ।
3. नगर निगमों में शहीदों की स्मृति में पार्को/ प्रदर्शनी स्थलों/ सभागार का विकास / निर्माण हेतु रुपये 150000000 की आवश्यकता ।
4. कुंभ मेला,2019, इलाहाबाद के आयोजन हेतु रुपये 800000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. राजीव आवास योजना हेतु रुपये 200000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 038

नागरिक उड्डयन विभाग

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 29-36 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	19841.72	100200.01	120041.73
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	80500.00	80500.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	19841.72	180700.01	200541.73
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

5053 - नागर विमानन पर पूंजीगत परिव्यय

02 - विमान पत्तन

800 - अन्य व्यय

21 - जनपद गौतमबुद्ध नगर के जेवर मे अन्तर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना

24 - वृहत् निर्माण कार्य

80000.00

योग : 21

80000.00

योग : 800

80000.00

योग : 02

80000.00

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

04 - हेलीकाप्टर / वायुयान की विशेष मरम्मत

42 - अन्य व्यय

500.00

योग : 04

500.00

योग : 800

500.00

योग : 80

500.00

योग : 5053

80500.00

योग : पूँजी लेखा

80500.00

योग : अनुपूरक

80500.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. जनपद गौतम बुद्ध नगर के जेवर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की स्थापना हेतु रूपये 8000000000 की आवश्यकता ।
2. नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत राजकीय बेल 412 ई.पी. हेलीकॉप्टर वी॰टी॰यू॰पी॰ओ॰ की ओवरहालिंग हेतु रूपये 50000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 040

नियोजन विभाग

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 43-67 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	32051.57	151346.00	183397.57
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	315.57	75975.00	76290.57
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	32367.14	227321.00	259688.14
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

3451 - सचिवालय आर्थिक सेवायें

800 - अन्य व्यय

05 - गिरी विकास अध्ययन संस्थान;लखनऊ को अनुदान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

308.00

योग : 05 308.00

योग : 800 308.00

योग : 3451 308.00

3454 - जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

02 - सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

001 - निदेशन तथा प्रशासन

04 - स्टेट स्ट्रेटिजिक स्टैटिस्टिकल प्लान (के.100/रा.0-के.)

42 - अन्य व्यय

7.57

योग : 04 7.57

योग : 001 7.57

योग : 02 7.57

योग : 3454 7.57

योग : राजस्व लेखा 315.57

पूँजी लेखा-----

4575 - अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय

		धनराशि
06 - बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम		
102 - ग्रामीण जलपूर्ति		
03 - जलापूर्ति कार्यक्रमों हेतु एकमुश्त व्यवस्था		
24 - वृहत् निर्माण कार्य		251.69
	योग : 03	251.69
	योग : 102	251.69
201 - बेसिक शिक्षा		
03 - विद्यालय का भवन/विस्तार/बाउन्ड्रीवाल के निर्माण के लिए एकमुश्त व्यवस्था		
24 - वृहत् निर्माण कार्य		312.31
	योग : 03	312.31
	योग : 201	312.31
800 - अन्य व्यय		
03 - सामुदायिक / प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उपकेन्द्रों के भवन निर्माण/विस्तार के लिये एकमुश्त व्यवस्था		
24 - वृहत् निर्माण कार्य		411.00
	योग : 03	411.00
	योग : 800	411.00
	योग : 06	975.00
	योग : 4575	975.00
5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		
04 - जिला तथा अन्य सड़कें		
337 - सड़क निर्माण कार्य		
03 - त्वरित आर्थिक विकास योजना		
0305 - विधान सभा क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्य		
24 - वृहत् निर्माण कार्य		75000.00
	योग : 0305	75000.00
	योग : 03	75000.00
	योग : 337	75000.00
	योग : 04	75000.00
	योग : 5054	75000.00

	धनराशि
योग : पूँजी लेखा	75975.00
योग : अनुपूरक	76290.57

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ हेतु रुपये 30800000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. स्टेट स्ट्रेटजिक प्लान (एस.एस.एस.) योजना हेतु रुपये 757000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. बॉर्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु रुपये 97500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. त्वरित आर्थिक विकास योजना अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्रों में लोक निर्माण विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों रुपये 7500000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 041

निर्वाचन विभाग

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 69-76 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	49323.38	5000.00	54323.38
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	5000.00	5000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	49323.38	10000.00	59323.38
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01 - कार्यालय भवन

051 - निर्माण

04 - ई 0 वी0 एम 0/वी0 वी0 पेट भण्डारण के लिये गोदाम निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य

5000.00

योग : 04

5000.00

योग : 051

5000.00

योग : 01

5000.00

योग : 4059

5000.00

योग : पूँजी लेखा

5000.00

योग : अनुपूरक

5000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रदेश के समस्त जनपदों में ई.वी.एम/ वी.वी.पेट भंडारण के लिए गोदाम निर्माण हेतु रूपये 500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 042

न्याय विभाग

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 77-103 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	217519.63	145850.99	363370.62
	भारित	41128.53	500.00	41628.53
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	4437.01	7715.12	12152.13
	भारित	1828.43	...	1828.43
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	221956.64	153566.11	375522.75
	भारित	42956.96	500.00	43456.96

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2014 - न्याय प्रशासन

102 - उच्च न्यायालय

03 - उच्च न्यायालय

14 - मोटर गाडियों का क्रय

मतदेय

--

भारित

28.43

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

मतदेय

--

भारित

450.00

47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय

मतदेय

--

भारित

50.00

योग : 03

मतदेय

--

भारित

528.43

योग : 102

मतदेय

--

भारित

528.43

105 - सिविल और सेशन न्यायालय

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0102 - भ्रष्टाचार से संबंधित मामलों की सुनवाई हेतु न्यायालय

38 - अन्तरिम सहायता

35.00

योग : 0102 -

35.00

0103 - मा0 सांसदों एवं विधायकों के लम्बित वादों के शीघ्र निस्तारण के लिये विशेष न्यायालय का गठन

42 - अन्य व्यय

22.79

	धनराशि
योग : 0103	22.79
योग : 01	57.79
03 - जिला तथा सेशन न्यायाधीश	
38 - अन्तरिम सहायता	665.00
योग : 03	665.00
09 - पारिवारिक न्यायालय	
38 - अन्तरिम सहायता	25.00
योग : 09	25.00
16 - कामर्शियल कोर्ट	
01 - वेतन	10.00
03 - मंहगाई भत्ता	30.00
08 - कार्यालय व्यय	5.00
38 - अन्तरिम सहायता	5.00
योग : 16	50.00
योग : 105	797.79
106 - लघुवाद न्यायालय	
03 - अधिष्ठान	
38 - अन्तरिम सहायता	65.00
योग : 03	65.00
योग : 106	65.00
108 - दण्ड न्यायालय	
03 - नियमित अधिष्ठान	
38 - अन्तरिम सहायता	200.00
योग : 03	200.00
04 - रेलवे मजिस्ट्रेटो का अधिष्ठान	
38 - अन्तरिम सहायता	5.00
योग : 04	5.00
योग : 108	205.00
114 - विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)	
03 - महाधिक्ता	
10 - जलकर / जल प्रभार	110.13

		धनराशि
योग : 03		110.13
04 - विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता		
01 - वेतन		300.00
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान		700.00
योग : 04		1000.00
योग : 114		1110.13
800 - अन्य व्यय		
03 - न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान		
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण		178.16
योग : 03		178.16
05 - विभागीय भवनों के अनुरक्षण हेतु प्राविधान		
29 - अनुरक्षण	मतदेय	--
	भारित	1300.00
योग : 05		--
	भारित	1300.00
योग : 800		178.16
	भारित	1300.00
योग : 2014		2356.08
	भारित	1828.43
2052 - सचिवालय-सामान्य सेवायें		
091 - संलग्न कार्यालय		
03 - विधि कोष्ठक उत्तर प्रदेश भवन, नई दिल्ली		
07 - मानदेय		0.12
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण		0.20
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व		26.50
योग : 03		26.82
योग : 091		26.82
योग : 2052		26.82
2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण		
60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम		
200 - अन्य कार्यक्रम		
04 - राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण		
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)		400.00

	धनराशि
53 - पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	56.41
योग : 04	456.41
05 - लोक अदालत	
31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)	565.00
53 - पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)	32.70
योग : 05	597.70
18 - उत्तर प्रदेश न्यायिक अधिकारी कल्याण निधि हेतु अनावर्तक अनुदान	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	1000.00
योग : 18	1000.00
योग : 200	2054.11
योग : 60	2054.11
योग : 2235	2054.11
योग : राजस्व लेखा	4437.01
मतदेय भारित	1828.43
पूँजी लेखा-----	
4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	
01 - कार्यालय भवन	
051 - निर्माण	
04 - मा. उच्च न्यायालय में निर्माण	
24 - बृहत् निर्माण कार्य	7500.00
योग : 04	7500.00
योग : 051	7500.00
052 - मशीनरी तथा उपस्कर	
05 - मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में 500 के.वी.ए. के जनरेटर का क्रय	
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	140.82
योग : 05	140.82
06 - मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में 1000 के.वी.ए. के दो ट्रांसफार्मर, एच.टी. केबिल एवं एल.टी.साइड की स्थापना	
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	74.30
योग : 06	74.30
योग : 052	215.12
योग : 01	7715.12

		धनराशि
योग : 4059		7715.12
योग : पूँजी लेखा		7715.12
योग : अनुपूरक	मतदेय	12152.13
	भारित	1828.43

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ लखनऊ में बैटरी चालित वाहन के क्रय हेतु 2843000 की आवश्यकता ।
2. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं खंडपीठ लखनऊ में ई - कोर्ट की स्थापना हेतु विभिन्न मदों में रुपये 50000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालयों में कार्यरत न्यायिक अधिकारियों को अनुमन्य अंतरिम सहायता हेतु विभिन्न लेखा शीर्षक के अंतर्गत रुपये 100000000 की आवश्यकता ।
4. माननीय सांसदों एवं विधायकों के लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण के लिए गठित विशेष न्यायालय के संचालन हेतु रुपये 2279000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. प्रदेश के कामर्शियल कोर्टों के संचालन हेतु विभिन्न लेखा शीर्षक के अन्तर्गत हेतु रुपये 4500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. महाधिवक्ता कार्यालय हेतु जल कर/ जल प्रभार हेतु रुपये 11013000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. प्रदेश के विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ताओं के वेतन तथा फीस भुगतान हेतु विभिन्न मदों में रुपये 100000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, लखनऊ में साउंड सिस्टम हेतु 17816000 की आवश्यकता ।
9. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद एवं खंडपीठ लखनऊ में विभिन्न मरम्मती कार्यों हेतु रुपये 130000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
10. माननीय उच्चतम न्यायालय, विधि प्रकोष्ठ, नई दिल्ली हेतु विभिन्न मदों में रुपये 2682000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
11. उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा स्थाई लोक अदालत के लिए सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) मद में रुपये 96500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
12. उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं लोक अदालत के अधिकारियों/ कर्मचारियों के एरियर भुगतान हेतु विभिन्न मदों में रुपये 8911000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
13. उत्तर प्रदेश न्यायिक अधिकारी कल्याण कोष के कार्पस फंड हेतु अनावर्तक अनुदान (वन टाइम) हेतु रुपये 100000000 की आवश्यकता ।
14. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के लिए मल्टी लेवल भूमिगत पार्किंग के निर्माण हेतु रुपये 750000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
15. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के लिए एक 500 के.वी.ए. का जनरेटर क्रय किए जाने हेतु रुपये 14082000 की आवश्यकता ।
16. माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद हेतु 1000 के.वी.ए. के दो ट्रांसफार्मर, एच.टी. केबल और एल. टी. साइड की स्थापना हेतु रुपये 7430000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 044

पर्यटन विभाग

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 117-129 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	12608.62	56093.47	68702.09
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	3000.00	3000.00
	भारित
	मतदेय	12608.62	59093.47	71702.09
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

5452 - पर्यटन पर पूंजीगत परिव्यय

80 - सामान्य

104 - संवर्धन तथा प्रचार

08 - पर्यटन स्थलों का विकास

24 - वृहत् निर्माण कार्य

2000.00

योग : 08

2000.00

44 - मा0 अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बटेखर-आगरा व अन्य स्थलों का विकास

24 - वृहत् निर्माण कार्य

1000.00

योग : 44

1000.00

योग : 104

3000.00

योग : 80

3000.00

योग : 5452

3000.00

योग : पूँजी लेखा

3000.00

योग : अनुपूरक

3000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रदेश के विभिन्न जनपदों में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु रुपये 200000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में बटेखर -आगरा एवं अन्य स्थलों के विकास हेतु रुपये 100000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 046

प्रशासनिक सुधार विभाग

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 137-142 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1953.50	15.00	1968.50
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	12.00	...	12.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1965.50	15.00	1980.50
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2052 - सचिवालय-सामान्य सेवायें

091 - संलग्न कार्यालय

04 - प्रशासनिक सुधार निदेशालय

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

12.00

योग : 04

12.00

योग : 091

12.00

योग : 2052

12.00

योग : राजस्व लेखा

12.00

योग : अनुपूरक

12.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रशासनिक सुधार निदेशालय के अंतर्गत एक ऑनलाइन वेब पोर्टल विकसित किए जाने हेतु रुपये 1200000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 047

प्राविधिक शिक्षा विभाग

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 143-161 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	41025.28	22749.02	63774.30
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	181.17	...	181.17
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	41206.45	22749.02	63955.47
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2203 - तकनीकी शिक्षा

103 - तकनीकी विद्यालय

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0102 - कम्युनिटी डेवलपमेंट थ्रू पालीटेकनिक (के.100/रा.0-के.)

42 - अन्य व्यय

181.17

योग : 0102 181.17

योग : 01 181.17

योग : 103 181.17

योग : 2203 181.17

योग : राजस्व लेखा 181.17

योग : अनुपूरक 181.17

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. सी.डी.टी.पी योजना के संचालन हेतु रूपये 18117000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 049

महिला एवं बाल कल्याण विभाग

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 183-201 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	728226.37	19901.00	748127.37
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	80628.18	4000.00	84628.18
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	808854.55	23901.00	832755.55
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

102 - बाल कल्याण

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0102 - समन्वित बाल विकास योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)

43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति

886.16

योग : 0102 -

886.16

0130 - नेशनल न्यूट्रीशन मिशन कार्यक्रम (के.80/रा.20.-के.+ रा.)

42 - अन्य व्यय

17383.00

योग : 0130 -

17383.00

0131 - किशोरी बालिकाओं के लिये योजना (के.50/रा.50.-के.+ रा.)

42 - अन्य व्यय

0.01

43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति

0.01

योग : 0131 -

0.02

योग : 01

18269.18

14 - समन्वित बाल विकास योजना

1401 - आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को मानदेय

07 - मानदेय

62359.00

	धनराशि
योग : 1401	62359.00
योग : 14	62359.00
योग : 102	80628.18
योग : 02	80628.18
योग : 2235	80628.18
योग : राजस्व लेखा	80628.18

पूँजी लेखा-----

4235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

02 - समाज कल्याण

102 - बाल कल्याण

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0127 - आंगनबाड़ी केन्द्रों का अपग्रेडेशन

25 - लघु निर्माण कार्य

	4000.00
योग : 0127	4000.00
योग : 01	4000.00
योग : 102	4000.00
योग : 02	4000.00
योग : 4235	4000.00
योग : पूँजी लेखा	4000.00
योग : अनुपूरक	84628.18

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. समन्वित बाल विकास योजना अंतर्गत मेडिसिन किट्स के क्रय हेतु रुपये 88616000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. पोषण अभियान (नेशनल न्यूट्रीशन मिशन कार्यक्रम) हेतु रुपये 1738300000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. प्रदेश के समस्त जनपदों में किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (एस.ए.जी.) लागू किए जाने हेतु मानक मद 42 एवं 43 में क्रमशः रुपये 1000/- एवं रुपये 1000/- अर्थात कुल रुपये 2000/- की प्रतीक व्यवस्था | आवश्यक धनराशि की व्यवस्था अनुदान में उपलब्ध सम्भावित बचतो से पुनर्विनियोग कर वहन की जायेगी |
4. प्रदेश के आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं के मानदेय हेतु रुपये 6235900000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. प्रदेश के जनपदों में आंगनबाड़ी केंद्रों के अपग्रेडेशन हेतु रुपये 400000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 051

राजस्व विभाग (देवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 5)के पृष्ठ संख्या 213-221 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	164997.27	2000.00	166997.27
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	30100.00	...	30100.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	195097.27	2000.00	197097.27
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत

05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड

800 - अन्य व्यय

06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय

0602 - बाढ राहत हेतु स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से व्यय

42 - अन्य व्यय

30100.00

योग : 0602

30100.00

योग : 06

30100.00

योग : 800

30100.00

योग : 05

30100.00

योग : 2245

30100.00

योग : राजस्व लेखा

30100.00

योग : अनुपूरक

30100.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. बाढ से प्रभावित व्यक्तियों/ परिवारों को राहत प्रदान किए जाने हेतु रुपये 3010000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 054

लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 6)के पृष्ठ संख्या 1-7 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	247817.60	...	247817.60
	भारित	4.00	...	4.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	620.50	...	620.50
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	248438.10	...	248438.10
	भारित	4.00	...	4.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2059 - लोक निर्माण कार्य

80 - सामान्य

001 - निदेशन और प्रशासन

03 - निदेशन

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	100.00
49 - चिकित्सा व्यय	0.50
52 - पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	120.00

योग : 03 220.50

04 - कार्यकारी

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	200.00
49 - चिकित्सा व्यय	200.00

योग : 04 400.00

योग : 001 620.50

योग : 80 620.50

योग : 2059 620.50

योग : राजस्व लेखा 620.50

योग : अनुपूरक 620.50

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. लोक निर्माण विभाग के अधिष्ठान व्यय हेतु रूपये 62050000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 057

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 6)के पृष्ठ संख्या 25-29 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	11950.00	148152.00	160102.00
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	1580.00	1580.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	11950.00	149732.00	161682.00
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

101 - पुल

04 - सामान्य सेतु निर्माण (राज्य सेक्टर)

0403 - ग्रामीण सेतुओं का निर्माण

24 - वृहत् निर्माण कार्य

790.00

योग : 0403

790.00

योग : 04

790.00

05 - रेलवे उपरिगामी सेतु

0517 - रेलवे उपरिगामी/अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यों के लिए एकमुश्त व्यवस्था

24 - वृहत् निर्माण कार्य

790.00

योग : 0517 -

790.00

योग : 05

790.00

योग : 101

1580.00

योग : 04

1580.00

योग : 5054

1580.00

	धनराशि
योग : पूँजी लेखा	1580.00
योग : अनुपूरक	1580.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. ग्रामीण सेतुओं के निर्माण हेतु रुपये 79000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नए कार्यों हेतु रुपये 79000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 058

लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 6)के पृष्ठ संख्या 31-48 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	533559.05	1190172.00	1723731.05
	भारित	5.00	1000.00	1005.00
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	22500.00	22500.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	533559.05	1212672.00	1746231.05
	भारित	5.00	1000.00	1005.00

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय

04 - जिला तथा अन्य सड़कें

337 - सड़क निर्माण कार्य

13 - एक मुश्त व्यवस्था

1330 - प्रदेश के कतिपय मार्गों हेतु भूमि अध्याप्ति के लिए एकमुश्त व्यवस्था

24 - वृहत् निर्माण कार्य

22500.00

योग : 1330

22500.00

योग : 13

22500.00

योग : 337

22500.00

योग : 04

22500.00

योग : 5054

22500.00

योग : पूँजी लेखा

22500.00

योग : अनुपूरक

22500.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. भदोही कपसेटी-बावतपुर राजमार्ग के लिये अधिग्रहीत भूमि के प्रतिकर के भुगतान हेतु रुपये 2250000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 059

लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 6)के पृष्ठ संख्या 49-67 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	24704.46	14481.72	39186.18
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1780.15	...	1780.15
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	26484.61	14481.72	40966.33
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2013 - मंत्रि परिषद्

800 - अन्य व्यय

03 - मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उप मंत्रियों के प्रकीर्ण व्यय

09 - विधुत देय

134.09

योग : 03

134.09

योग : 800

134.09

योग : 2013

134.09

2052 - सचिवालय-सामान्य सेवायें

090 - सचिवालय

03 - राज्य सम्पत्ति विभाग

02 - मजदूरी

125.00

योग : 03

125.00

योग : 090

125.00

091 - संलग्न कार्यालय

03 - राज्य सम्पत्ति निदेशालय

52 - पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)

6.25

योग : 03

6.25

योग : 091

6.25

योग : 2052

131.25

2059 - लोक निर्माण कार्य

60 - अन्य भवन

053 - रखरखाव तथा मरम्मत

03 - लखनऊ स्थित अतिथि गृहों के लिए व्यवस्था

0301 - अतिथि गृहों पर आवश्यक देयता तथा अन्य व्यय

09 - विद्युत देय

धनराशि

276.13

योग : 0301

276.13

योग : 03

276.13

योग : 053

276.13

योग : 60

276.13

योग : 2059

276.13

2216 - आवास

01 - सरकारी रिहायशी भवन

106 - साधारण पूल आवास

03 - सरकारी कर्मचारी /अधिकारी के सरकारी आवास

0301 - कालोनियों पर आवश्यक देयता तथा अन्य व्यय

09 - विद्युत देय

140.29

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

107.53

योग : 0301

247.82

योग : 03

247.82

योग : 106

247.82

700 - अन्य आवास

09 - विधायकों को आवंटित आवास

0901 - आवासों पर आवश्यक देयता तथा अन्य व्यय

09 - विद्युत देय

949.49

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान

41.37

योग : 0901

990.86

योग : 09

990.86

	धनराशि
योग : 700	990.86
योग : 01	1238.68
योग : 2216	1238.68
योग : राजस्व लेखा	1780.15
योग : अनुपूरक	1780.15

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन मंत्रियों, राज्य मंत्रियों तथा उप मंत्रियों के आवासों के विद्युत देय हेतु रुपये 13409000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राज्य सम्पत्ति विभाग के विभिन्न अनुभागों / इकाइयों एवं कैम्प कार्यालयों में कार्यरत दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों की मजदूरी हेतु रुपये 12500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन राज्य संपत्ति निदेशालय में कार्यरत कर्मचारियों के पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) के भुगतान हेतु रुपये 625000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन अतिथि गृहों के विद्युत देय हेतु रुपये 27613000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन सरकारी कर्मचारियों/ अधिकारियों के सरकारी आवासों के विद्युत देय हेतु रुपये 14029000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन बटलर पैलेस कॉलोनी में नवनिर्मित श्रेणी-5 के प्रथम बहुखंडीय भवन, सचिवालय कॉलोनी महानगर स्थित टाइप-2 एवं टाइप-3 के नवनिर्मित बहुखंडीय भवन एवं तिलक मार्ग डालीबाग, लखनऊ में नवनिर्मित बहुखंडीय भवन में विभिन्न विद्युत उपकरणों के संचालन हेतु रुपये 10753000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन विधायकों को आवांटीट आवासों के विद्युत देय हेतु रुपये 94949000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
8. राज्य सम्पत्ति विभाग के नियंत्रणाधीन नवनिर्मित बहुमंजिला विधायक निवास, दासलशाफा में विभिन्न विद्युत उपकरणों के संचालन हेतु रुपये 4137000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 060

वन विभाग

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 1-20 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	79366.38	20787.20	100153.58
	भारित	13.70	...	13.70
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	270.04	133.74	403.78
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	79636.42	20920.94	100557.36
	भारित	13.70	...	13.70

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2406 - वानिकी तथा वन्य जीव

01 - वानिकी

800 - अन्य व्यय

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0113 - फरैस्ट फायर प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेन्ट स्कीम (के.60/रा.40-के.+रा.)

02 - मजदूरी 59.43

29 - अनुरक्षण 17.00

42 - अन्य व्यय 9.53

योग : 0113 - 85.96

योग : 01 85.96

योग : 800 85.96

योग : 01 85.96

02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव

110 - वन्य जीव परिरक्षण

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0137 - प्रोजेक्ट एलीफेंट (सी.सी.एल.) (के.60/रा.40-के.+रा.)

29 - अनुरक्षण 5.30

42 - अन्य व्यय 12.65

	धनराशि
योग : 0137	17.95
0140 - इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स (के.60/रा.40-के.+रा.)	
42 - अन्य व्यय	166.13
योग : 0140	166.13
योग : 01	184.08
योग : 110	184.08
योग : 02	184.08
योग : 2406	270.04
योग : राजस्व लेखा	270.04
पूँजी लेखा-----	
4406 - वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	
02 - पर्यावरणीय वानिकी तथा वन्य जीव	
110 - वन्य जीव	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0103 - प्रोजेक्ट एल्फिन्ट (सी.सी.एल. प्रणाली) (के.60/रा.40-के.+रा.)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	8.74
25 - लघु निर्माण कार्य	6.80
योग : 0103	15.54
0106 - इन्टीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स (के.60/रा.40-के.+रा.)	
25 - लघु निर्माण कार्य	118.20
योग : 0106	118.20
योग : 01	133.74
योग : 110	133.74
योग : 02	133.74
योग : 4406	133.74

	धनराशि
योग : पूँजी लेखा	133.74
योग : अनुपूरक	403.78

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. “फर्स्ट फायर प्रिवेन्शन एण्ड मैनेजमेन्ट” योजना के संचालन हेतु रुपये 8596000 की आवश्यकता ।
2. “प्रोजेक्ट एलीफेंट” योजना के क्रियान्वयन हेतु राजस्व पक्ष में रुपये 1795000 एवं पूँजीगत पक्ष में रुपये 1554000 अर्थात कुल रुपये 3349000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. “ इंटिग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स” योजना के क्रियान्वयन हेतु राजस्व पक्ष में रुपये 16613000 एवं पूँजीगत पक्ष में रुपये 11820000 अर्थात कुल रुपये 28433000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 062

वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 69-82 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	4459212.90	10000.00	4469212.90
	भारित	1900.22	...	1900.22
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	303189.50	...	303189.50
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	4762402.40	10000.00	4772402.40
	भारित	1900.22	...	1900.22

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2071 - पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ

01 - सिविल

109 - राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन

12 - बेसिक शिक्षा परिषद् के कार्मिकों की पेंशन

1201 - दिनांक 08 नवम्बर , 2000 तक सेवानिवृत्त शिक्षक / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेवा नैवृत्तिक सुविधायें

33 - पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ 70000.00

योग : 1201 - 70000.00

योग : 12 70000.00

योग : 109 70000.00

800 - अन्य व्यय

10 - उ.प्र. राज्य पुनर्गठन अधिनियम,2000 के अन्तर्गत पेंशन दायित्वों के प्रभाजन के फलस्वरूप उत्तराखण्ड सरकार को देय राशि

33 - पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ 233189.50

योग : 10 233189.50

योग : 800 233189.50

योग : 01 303189.50

योग : 2071 303189.50

योग : राजस्व लेखा 303189.50

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. बेसिक शिक्षा परिषद के सेवानिवृत्त शिक्षकों / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को सेवानैवृत्तिक सुविधाएं दिए जाने हेतु रूपये 7000000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अधीन उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखण्ड राज्य में पेंशन पर होने वाले व्यय का प्रभाजन किए जाने के फलस्वरूप उत्तराखण्ड सरकार को देय राशि के भुगतान हेतु रूपये 23318950000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 063

वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 83-89 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	30626.56	200.00	30826.56
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1000.00	...	1000.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	31626.56	200.00	31826.56
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2054 - खजाना तथा लेखा प्रशासन

097 - खजाना स्थापना

03 - मुख्य-

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

1000.00

योग : 03 1000.00

योग : 097 1000.00

योग : 2054 1000.00

योग : राजस्व लेखा 1000.00

योग : अनुपूरक 1000.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश के कोषागारों में लागू इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (आई०एफ०एम०एस०) को उच्चिकृत किये जाने हेतु रूपये 100000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 065

वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 91-104 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	31350.13	20.00	31370.13
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	500.00	...	500.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	31850.13	20.00	31870.13
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

3475 - अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें

200 - अन्य कारोबार उपक्रमों का विनियमन

03 - भारतीय भागीता अधिनियम,सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ. प्र. चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन

16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान 500.00

योग : 03 500.00

योग : 200 500.00

योग : 3475 500.00

योग : राजस्व लेखा 500.00

योग : अनुपूरक 500.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. रजिस्ट्रार फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स की पत्रावलियों के डिजिटाइजेशन और सोसाइटी के पंजीयन एवं फर्म्स के ऑनलाइन पंजीकरण किए जाने हेतु रुपये 50000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 068

विधान सभा सचिवालय

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 115-122 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	19236.72	147.50	19384.22
	भारित	144.20	...	144.20
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	12.57	487.43	500.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	19249.29	634.93	19884.22
	भारित	144.20	...	144.20

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2059 - लोक निर्माण कार्य

80 - सामान्य

053 - रखरखाव तथा मरम्मत

03 - विधान सभा सचिवालय के अनावासीय भवनों की मरम्मत

0302 - विशेष मरम्मत

29 - अनुरक्षण

12.57

योग : 0302

12.57

योग : 03

12.57

योग : 053

12.57

योग : 80

12.57

योग : 2059

12.57

योग : राजस्व लेखा

12.57

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

80 - सामान्य

800 - अन्य व्यय

05 - विधान सभा परिसर में डिजिटल सी0 सी0 टी0 वी0 सर्विलांस कैमरा प्रणाली की स्थापना

26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

100.00

	धनराशि
योग : 05	100.00
06 - उ 0 प्र 0 विधान सभा की कार्यवाहियों का दूरदर्शन के माध्यम से सजीव प्रसारण	
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	50.93
योग : 06	50.93
13 - विधान सभा परिसर में सिविल एवं विद्युत संबंधी कार्य	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	161.00
योग : 13	161.00
14 - सदन की कार्यवाही के सजीव प्रसारण हेतु डिजिटल कान्फ्रेंस सिस्टम और विडियो वॉल्स के विस्तार संबंधी उपकरणों की स्थापना	
26 - मशीनें और सज्जा / उपकरण और संयंत्र	175.50
योग : 14	175.50
योग : 800	487.43
योग : 80	487.43
योग : 4059	487.43
योग : पूँजी लेखा	487.43
योग : अनुपूरक	500.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. विधान भवन मुख्य भवन के समस्त तलों में स्थापित एड्रेसेबुल एवं फायर उपकरणों का बदलाव एवं जीर्णोद्धार कराए जाने हेतु रुपये 1257000 की आवश्यकता ।
2. उत्तर प्रदेश विधान भवन स्थित पुस्तकालय में सी.सी.टी.वी. प्रणाली की स्थापना कराए जाने हेतु रुपये 10000000 की आवश्यकता ।
3. उत्तर प्रदेश विधान सभा मण्डप में ए.वी. रिकॉर्डिंग सिस्टम प्रणाली की स्थापना कराए जाने हेतु रुपये 5093000 की आवश्यकता ।
4. विधानसभा मुख्य भवन स्थित विधानसभा परिसर में बुडेन वर्क पर अग्नि प्रतिरोधी पेंट लगवाए जाने हेतु रुपये 5032000 की आवश्यकता ।
5. विधान सभा मुख्य भवन कक्षा संख्या-08 के हाल (अर्द्धवृत्ताकार क्षेत्र) में माननीय सभापति एवं उनके स्टाफ हेतु केबिन निर्माण कराए जाने हेतु रुपये 1792000 की आवश्यकता ।
6. विधानसभा स्थित विधान पुस्तकालय के प्रशासनिक खण्ड के सामने स्थित बरामदे का आधुनिकीकरण कराए जाने हेतु रुपये 2440000 की आवश्यकता ।
7. विधान भवन स्थित राजर्षि पुरुषोत्तम दास टण्डन सभागार में वॉल पैनेलिंग तथा अन्य सिविल तथा विद्युत संबंधी कार्य कराए जाने हेतु रुपये 6836000 की आवश्यकता ।
8. उत्तर प्रदेश विधान सभा मंडप में स्थापित पूर्णतया डिजिटल कान्फ्रेंस सिस्टम और वीडियो वॉल्स का विस्तार कराए जाने हेतु रुपये 17550000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 070

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 7)के पृष्ठ संख्या 135-140 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	40315.10	1000.00	41315.10
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	4443.56	...	4443.56
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	44758.66	1000.00	45758.66
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2810 - अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत

02 - सौर

101 - सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम

03 - विज्ञान एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत

0301 - नान कन्वैशनल एनर्जी डेवलपमेंट एजेन्सी के माध्यम से अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत कार्यक्रमों का क्रियान्वयन

27 - सब्सिडी

4050.00

योग : 0301 -

4050.00

योग : 03

4050.00

योग : 101

4050.00

योग : 02

4050.00

60 - अन्य

800 - अन्य व्यय

09 - जनपद बहराइच के आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की व्यवस्था हेतु सौर ऊर्जा आधारित आर.ओ.वाटर प्लाण्ट की स्थापना

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

100.00

योग : 09

100.00

योग : 800

100.00

योग : 60

100.00

3425 - अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान

60 - अन्य

200 - अन्य वैज्ञानिक निकायों को सहायता

03 - राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् को सहायक अनुदान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

100.00

योग : 03

100.00

05 - रिमोट सैन्सिंग एजेन्सी को अनुदान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

40.00

53 - पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सहायता)

153.56

योग : 05

193.56

योग : 200

293.56

योग : 60

293.56

योग : 3425

293.56

योग : राजस्व लेखा

4443.56

योग : अनुपूरक

4443.56

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. सौर ऊर्जा नीति के अन्तर्गत स्थापित परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत को यू०पी०पी०सी०एल० द्वारा क्रय करने के लिये प्रोत्साहन धनराशि हेतु रुपये 405000000 की आवश्यकता ।
2. जनपद बहराइच में आर्सेनिक प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु सौर ऊर्जा आधारित आर०ओ० वॉटर प्लांट की स्थापना कराए जाने हेतु रुपये 10000000 की आवश्यकता ।
3. लखनऊ में आयोजित होने वाले “ भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव-2018” में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से सहयोग प्रदान करने हेतु रुपये 10000000 की आवश्यकता ।
4. सुदूर संवेदन उपयोग केंद्र, लखनऊ में ई-ऑफिस प्रणाली के क्रियान्वयन हेतु रुपये 4000000 की आवश्यकता एवं कर्मिकों के पुनरीक्षित वेतन के अवशेषों के भुगतान हेतु रुपये 15356000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 072

शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 8)के पृष्ठ संख्या 15-42 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	933471.93	36951.21	970423.14
	भारित	0.50	...	0.50
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	553.69	2500.00	3053.69
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	934025.62	39451.21	973476.83
	भारित	0.50	...	0.50

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2071 - पेंशन तथा अन्य सेवा निवृत्ति हित लाभ

01 - सिविल

109 - राज्य से सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को पेंशन

03 - सैनिक स्कूल लखनऊ के कर्मचारियों को पेंशन का भुगतान

33 - पेंशन/आनुतोषिक/अन्य सेवानिवृत्ति हितलाभ

153.69

योग : 03

153.69

योग : 109

153.69

योग : 01

153.69

योग : 2071

153.69

2204 - खेल कूद तथा युवा सेवार्ये

102 - विद्यार्थियों के लिये युवा कल्याण कार्यक्रम

04 - राष्ट्रीय सेना छात्र दल

01 - वेतन

320.00

06 - अन्य भत्ते

60.00

52 - पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)

20.00

योग : 04

400.00

योग : 102

400.00

योग : 2204

400.00

	धनराशि
योग : राजस्व लेखा	553.69
<hr/>	
पूँजी लेखा-----	
4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	
01 - सामान्य शिक्षा	
202 - माध्यमिक शिक्षा	
17 - राजकीय इंटर कालेज की स्थापना	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	2500.00
योग : 17	2500.00
योग : 202	2500.00
योग : 01	2500.00
योग : 4202	2500.00
योग : पूँजी लेखा	2500.00
योग : अनुपूरक	3053.69

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. सैनिक स्कूल, लखनऊ के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सेवानिवृत्तिक लाभों के भुगतान हेतु रुपये 15369000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राष्ट्रीय सेना छात्र दल एन०सी०सी० निदेशालय के अधिष्ठान हेतु रुपये 40000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. विभिन्न जनपदों में नए राजकीय इंटर कॉलेजों की स्थापना हेतु रुपये 250000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 073

शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 8)के पृष्ठ संख्या 43-63 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	253082.13	27618.01	280700.14
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	97383.72	2536.23	99919.95
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	350465.85	30154.24	380620.09
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2202 - सामान्य शिक्षा

03 - विश्वविद्यालय तथा उच्चतर शिक्षा

102 - विश्वविद्यालयों को सहायता

08 - गोरखपुर विश्व विद्यालय

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

2800.00

योग : 08

2800.00

09 - सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्व विद्यालय

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

1400.00

योग : 09

1400.00

12 - काशी विद्यापीठ

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

500.00

योग : 12

500.00

योग : 102

4700.00

800 - अन्य व्यय

05 - अवशेषों का भुगतान

01 - वेतन

16865.16

31 - सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन)

75288.56

योग : 05

92153.72

20 - मा0 अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में डी0 ए0 वी0 कालेज, कानपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना

42 - अन्य व्यय

500.00

2204 - खेल कूद तथा युवा सेवार्ये

800 - अन्य व्यय

03 - एक भारत श्रेष्ठ भारत

42 - अन्य व्यय

	धनराशि
योग : 20	500.00
योग : 800	92653.72
योग : 03	97353.72
योग : 2202	97353.72

	30.00
योग : 03	30.00
योग : 800	30.00
योग : 2204	30.00
योग : राजस्व लेखा	97383.72

पूँजी लेखा-----

4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

01 - सामान्य शिक्षा

203 - विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा

04 - नये राजकीय महाविद्यालयो की स्थापना

24 - वृहत् निर्माण कार्य

	2500.00
योग : 04	2500.00

34 - बाबा साहब डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ

24 - वृहत् निर्माण कार्य

	36.22
योग : 34	36.22
योग : 203	2536.22

800 - अन्य व्यय

04 - मा0 अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में डी0 ए0 वी0 कालेज, कानपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना

24 - वृहत् निर्माण कार्य

	0.01
योग : 04	0.01
योग : 800	0.01
योग : 01	2536.23

	धनराशि
योग : 4202	2536.23
योग : पूँजी लेखा	2536.23
योग : अनुपूरक	99919.95

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. वेतन मद हेतु गोरखपुर विश्वविद्यालय को रुपये 280000000, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी को रुपये 140000000 एवं महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को रुपये 50000000 अर्थात कुल हेतु रुपये 470000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राज्य विश्वविद्यालयों, राजकीय एवं सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालयों में शिक्षक एवं समतुल्य संवर्ग में सातवें केंद्रीय वेतनमान की संस्तुतियों के आधार पर यू.जी.सी. वेतनमान का लाभअनुमन्य किए जाने हेतु रुपये 9215372000 की आवश्यकता ।
3. माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में डी०ए०वी० कॉलेज, कानपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना हेतु राजस्व पक्ष में स्पए 50000000 एवं पूंजीगत पक्ष में स्पए 1000 का प्रतीक प्रावधान अर्थात कुल स्पए 50001000 की आवश्यकता | पूंजीगत पक्ष में आवश्यकतानुसार धनराशि अनुदान के अंतर्गत सम्भावित पूंजीगत पक्ष की बचत से वहन की जाएगी |
4. “एक भारत श्रेष्ठ भारत” कार्यक्रम के संचालन हेतु रुपये 3000000 की आवश्यकता ।
5. नए राजकीय महाविद्यालयों की स्थापना हेतु रुपये 250000000 की आवश्यकता ।
6. बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के लिए अर्जित की गई भूमि के प्रतिकर की बढ़ी हुई धनराशि के भुगतान हेतु रुपये 3622000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 074

गृह विभाग (होमगार्डस)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 8)के पृष्ठ संख्या 65-70 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	80359.54	1909.47	82269.01
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	19808.72	...	19808.72
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	100168.26	1909.47	102077.73
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2070 - अन्य प्रशासनिक सेवार्यें

107 - होमगार्डस

03 - सामान्य अधिष्ठान

02 - मजदूरी

17298.46

योग : 03

17298.46

05 - लोकसभा निर्वाचन

02 - मजदूरी

119.33

04 - यात्रा व्यय

11.58

15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद

3.18

42 - अन्य व्यय

0.22

योग : 05

134.31

06 - विधान सभा निर्वाचन

02 - मजदूरी

1345.67

04 - यात्रा व्यय

1.42

15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद

0.21

42 - अन्य व्यय

0.24

योग : 06

1347.54

07 - पंचायत चुनाव

02 - मजदूरी

2.14

04 - यात्रा व्यय

11.14

	धनराशि
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	9.78
42 - अन्य व्यय	5.15
योग : 07	28.21
08 - नगर निकाय चुनाव	
02 - मजदूरी	0.20
योग : 08	0.20
09 - कुम्भ मेला - 2019 , इलाहाबाद	
02 - मजदूरी	696.00
04 - यात्रा व्यय	30.00
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	2.00
42 - अन्य व्यय	272.00
योग : 09	1000.00
योग : 107	19808.72
योग : 2070	19808.72
योग : राजस्व लेखा	19808.72
योग : अनुपूरक	19808.72

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. होमगाडर्स स्वयंसेवकों के झूटी भत्ते में वृद्धि के फलस्वरूप रुपये 1729846000 की अतिरिक्त आवश्यकता जिसमें राज्य आकस्मिकता निधि से लिए गए अग्रिम की प्रतिपूर्ति रुपये 577600000 की धनराशि सम्मिलित है ।
2. लोकसभा निर्वाचन में होमगाडर्स, स्वयं सेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की लंबित देनदारियों के भुगतान हेतु विभिन्न मदों में कुल रुपये 13431000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. विधानसभा निर्वाचन में होमगाडर्स, स्वयं सेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की लंबित देनदारियों के भुगतान हेतु विभिन्न मदों में कुल रुपये 134754000 की अतिरिक्त आवश्यकता, जिसमें वर्ष 2017-18 में राज्य आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम रुपये 133300000 की प्रतिपूर्ति की धनराशि सम्मिलित है ।
4. पंचायत चुनाव में होमगाडर्स, स्वयं सेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की लंबित देनदारियों के भुगतान हेतु विभिन्न मदों में कुल रुपये 2821000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. नगर निकाय चुनाव में होमगाडर्स, स्वयं सेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की लंबित देनदारियों के भुगतान हेतु मजदूरी मद में कुल रुपये 20000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. कुंभ मेला में होमगाडर्स, स्वयं सेवकों एवं अवैतनिक अधिकारियों की लंबित देनदारियों के भुगतान हेतु विभिन्न मदों में कुल रुपये 100000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 075

शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 8)के पृष्ठ संख्या 71-86 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	15651.06	1038.01	16689.07
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	662.77	...	662.77
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	16313.83	1038.01	17351.84
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2202 - सामान्य शिक्षा

80 - सामान्य

003 - प्रशिक्षण

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0105 - कालेज आफ टीचर एजुकेशन (सी.टी.ई) (के.60/रा.40-के.+रा.)

01 - वेतन	60.96
03 - मंहगाई भत्ता	15.00
06 - अन्य भत्ते	5.78
52 - पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	10.00

योग : 01 91.74

03 - परिषद् का प्रारम्भिक शिक्षा विभाग राज्य शिक्षा संस्थान , इलाहाबाद

10 - जलकर / जल प्रभार	5.73
52 - पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	3.11

योग : 03 8.84

04 - परिषद् का हिन्दी भाषा विभाग राज्य हिन्दी संस्थान वाराणसी

09 - विद्युत देय	5.88
10 - जलकर / जल प्रभार	1.43

योग : 04 7.31

08 - परिषद् का दूर्य श्रव्य शिक्षा अनुभाग शिक्षा प्रसार कार्यालय, इलाहाबाद

03 - मंहगाई भत्ता	22.07
-------------------	-------

	धनराशि
06 - अन्य भत्ते	0.41
योग : 08	22.48
योग : 003	130.37
004 - अनुसंधान	
03 - परिषद् का मनोविज्ञान तथा शैक्षिक निदेशन विभाग मनोविज्ञान शाखा, इलाहाबाद	
01 - वेतन	12.00
03 - मंहगाई भत्ता	2.00
06 - अन्य भत्ते	11.92
49 - चिकित्सा व्यय	1.48
52 - पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	5.00
योग : 03	32.40
योग : 004	32.40
800 - अन्य व्यय	
06 - परीक्षा नियामक कार्यालय, इलाहाबाद हेतु टी0 ई0 टी0 चयन, बी0 टी0 सी0 चयन एवं बी0 टी0 सी0 परीक्षा कराये जाने हेतु	
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	500.00
योग : 06	500.00
योग : 800	500.00
योग : 80	662.77
योग : 2202	662.77
योग : राजस्व लेखा	662.77
योग : अनुपूरक	662.77

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. जनपद लखनऊ, इलाहाबाद एवं वाराणसी स्थित कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन के अधिष्ठान व्यय हेतु विभिन्न मदों में कुल रुपये 9174000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के प्रारंभिक शिक्षा विभाग, राज्य शिक्षा संस्थान, इलाहाबाद के लिए विभिन्न मदों हेतु रुपये 884000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के हिंदी भाषा विभाग, राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी के विद्युत देय एवं जल कर के भुगतान 731000 की आवश्यकता ।
4. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के दृश्य श्रव्य शिक्षा अनुभाग प्रसार, इलाहाबाद के अधिष्ठान व्यय हेतु रुपये 2248000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के मनोविज्ञान तथा शैक्षिक निर्देशन विभाग मनोविज्ञानशाला, इलाहाबाद के अधिष्ठान व्यय हेतु रुपये 3240000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के नियामक कार्यालय, इलाहाबाद हेतु टी0 ई0 टी0 चयन, बी0 टी0 सी0 चयन एवं बी0 टी0 सी0 परीक्षा कराए जाने

रुपये 50000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 078

सचिवालय प्रशासन विभाग

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 31-40 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	99736.86	3437.00	103173.86
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	...	489.00	489.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	99736.86	3926.00	103662.86
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय

01 - कार्यालय भवन

051 - निर्माण

03 - नई दिल्ली में प्रदेश सरकार के एकीकृत कार्यालय हेतु

24 - बृहत् निर्माण कार्य

58.00

26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

200.00

योग : 03 258.00

योग : 051 258.00

योग : 01 258.00

योग : 4059 258.00

4216 - आवास पर पूंजीगत परिव्यय

01 - सरकारी रिहायशी भवन

700 - अन्य आवास

03 - नई दिल्ली में प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के आवास हेतु

24 - बृहत् निर्माण कार्य

231.00

योग : 03 231.00

योग : 700 231.00

योग : 01 231.00

	धनराशि
योग : 4216	231.00
योग : पूँजी लेखा	489.00
योग : अनुपूरक	489.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश सरकार के कार्यालयों हेतु आन्तरिक साज सज्जा हेतु रुपये 20000000 एवं लीज पर क्रय किए गए अनावासीय भवन की नवी एवं दसवीं किस्त के भुगतान हेतु रुपये 5800000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. नई दिल्ली स्थित प्रदेश सरकार के कार्यालयों के लिए सम्मिलित रूप से लीज पर क्रय किए गए आवासीय (अपार्टमेंट) भवन के लिए नवी एवं दसवीं किस्त के भुगतान हेतु रुपये 23100000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 079

समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा

वर्ग कल्याण)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 41-58 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	239972.64	16574.19	256546.83
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	19370.70	500.00	19870.70
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	259343.34	17074.19	276417.53
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

03 - पिछड़े वर्गों का कल्याण

277 - शिक्षा

03 - अन्य पिछड़े हुये जातियों के दशमोत्तर कक्षा में अध्ययन करने वाले छात्रों को छात्रवृत्ति

21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन 5000.00

योग : 03 5000.00

07 - दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत पिछड़े वर्ग के छात्र छात्राओं को प्रवेश शुल्क की धनराशि की प्रतिपूर्ति

21 - छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन 13400.00

योग : 07 13400.00

योग : 277 18400.00

योग : 03 18400.00

योग : 2225 18400.00

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

101 - विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

32 - कुष्ठावस्था विकलांग भरण-पोषण अनुदान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 470.70

योग : 32 470.70

35 - दिव्यांगजन के लिए राज्य निधि का गठन

42 - अन्य व्यय

	धनराशि
	500.00
योग : 35	500.00
योग : 101	970.70
योग : 02	970.70
योग : 2235	970.70
योग : राजस्व लेखा	19370.70

पूँजी लेखा-----

4235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

02 - समाज कल्याण

101 - विकलांग व्यक्तियों का कल्याण

08 - शासकीय एवं जनपयोगी भवनों में दिव्यांगजन हेतु बाधा रहित वातावरण का सृजन

24 - वृहत् निर्माण कार्य

	500.00
योग : 08	500.00
योग : 101	500.00
योग : 02	500.00
योग : 4235	500.00
योग : पूँजी लेखा	500.00
योग : अनुपूरक	19870.70

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिये दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना (राज्य सेक्टर) हेतु रुपये 500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययलयनरत पिछड़े वर्ग के छात्रों को प्रवेश शुल्क प्रतिपूर्ति हेतु रुपये 1340000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. कुष्ठवस्था पेंशन अनुदान हेतु रुपये 47070000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. उत्तर प्रदेश दिव्यांगजन अधिकार नियमावली-2017 के प्रावधानों के अनुसार दिव्यांगजन के लिए राज्य निधि के गठन/स्थापना एवं संचालन हेतु 50000000 की आवश्यकता ।
5. सुगम्य भारत अभियान (फेज-2) के अन्तर्गत लखनऊ के 68 चिन्हित भवनों का एक्सेस ऑडिट एवं बाधा रहित बनाए जाने हेतु रुपये 50000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 081

समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 83-108 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	32503.46	8440.29	40943.75
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	47839.97	2939.96	50779.93
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	80343.43	11380.25	91723.68
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2202 - सामान्य शिक्षा

01 - प्रारम्भिक शिक्षा

796 - जनजातीय उपयोजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0103 - सर्वशिक्षा अभियान (के.60/रा.40-के.+रा.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

7523.29

योग : 0103 -

7523.29

योग : 01

7523.29

योग : 796

7523.29

योग : 01

7523.29

योग : 2202

7523.29

2211 - परिवार कल्याण

796 - जनजाति क्षेत्र उपयोजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0101 - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत संचालित योजनाओं का कार्यान्वयन (के.60/रा.40-के.+रा.)

42 - अन्य व्यय

6456.36

योग : 0101 -

6456.36

	धनराशि
योग : 01	6456.36
योग : 796	6456.36
योग : 2211	6456.36

2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

02 - अनुसूचित जनजातियों का कल्याण

796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोग

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0101 - दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति(के.100/रा.0-के.)

21 - छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन 3259.00

योग : 0101 3259.00

0104 - सविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण के लिए विकास कार्यक्रमों के संचालन हेतु (के.100/रा.0-के.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 53.13

योग : 0104 53.13

योग : 01 3312.13

योग : 796 3312.13

योग : 02 3312.13

योग : 2225 3312.13

2230 - श्रम तथा रोजगार

02 - रोजगार सेवाएँ

796 - जनजातीय क्षेत्र उप योजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0101 - दीन दयाल अन्त्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 675.00

योग : 0101 675.00

योग : 01 675.00

योग : 796 675.00

योग : 02 675.00

	धनराशि
योग : 2230	675.00

2401 - फसल कृषि कर्म

796 - जनजाति क्षेत्र उपयोगना

03 - लघु तथा सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

	600.00
योग : 03	600.00
योग : 796	600.00
योग : 2401	600.00

2403 - पशु पालन

796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना

05 - डिजीज फ्री जोन की स्थापना (के.60/रा.40.-के.+ रा.)

04 - यात्रा व्यय

6.00

07 - मानदेय

10.00

11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई

5.00

18 - प्रकाशन

0.60

19 - विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय

0.60

39 - औषधि तथा रसायन

6.00

42 - अन्य व्यय

6.00

43 - सामग्री एवं सम्पत्ति

448.97

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय

7.00

47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय

1.50

योग : 05	491.67
योग : 796	491.67
योग : 2403	491.67

2406 - वानिकी तथा वन्य जीव

01 - वानिकी

796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनायें

0101 - सब मिशन आन एगो फॉरेस्ट्री (के.60/रा.40.-के.+ रा.)

04 - यात्रा व्यय

0.05

08 - कार्यालय व्यय

0.05

15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद

0.05

	धनराशि
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	2.35
44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.18
योग : 0101	2.68
योग : 01	2.68
योग : 796	2.68
योग : 01	2.68
योग : 2406	2.68
2501 - ग्राम विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	
01 - समेकित ग्राम विकास कार्यक्रम	
796 - जनजातिय उप क्षेत्र योजना	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ	
0101 - राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)	
27 - सब्सिडी	25203.84
योग : 0101	25203.84
योग : 01	25203.84
योग : 796	25203.84
योग : 01	25203.84
योग : 2501	25203.84
2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	
796 - जन जातीय क्षेत्र उपयोजना	
02 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	
0201 - स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना) (के 60/रा 40-के+रा)	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	3575.00
योग : 0201	3575.00
योग : 02	3575.00
योग : 796	3575.00

	धनराशि
योग : 2515	3575.00
योग : राजस्व लेखा	47839.97

पूँजी लेखा-----

4211 - परिवार कल्याण पर पूँजीगत परिव्यय

796 - जनजाति क्षेत्र उपयोगना

02 - राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

0201 - चिकित्सालयों का सुदृढीकरण (के.60/रा.40-के.+रा.)

26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण और संयंत्र

2808.21

योग : 0201 2808.21

योग : 02 2808.21

योग : 796 2808.21

योग : 4211 2808.21

4216 - आवास पर पूँजीगत परिव्यय

796 - जनजाति क्षेत्र उपयोगना

02 - मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण)

24 - वृहत् निर्माण कार्य

120.10

योग : 02 120.10

योग : 796 120.10

योग : 4216 120.10

4403 - पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय

796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनायें

0101 - डिजीज फ्री जोन की स्थापना (के. 60/रा. 40 - के.+रा.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य

8.33

योग : 0101 8.33

योग : 01 8.33

योग : 796 8.33

योग : 4403 8.33

4406 - वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय

01 - वानिकी

796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाये

0101 - सब मिशन आन एगो फरैस्ट्री (के.60/रा.40.-के.+ रा.)

24 - वृहत् निर्माण कार्य 3.20

46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय 0.12

योग : 0101 3.32

योग : 01 3.32

योग : 796 3.32

योग : 01 3.32

योग : 4406 3.32

योग : पूंजी लेखा 2939.96

योग : अनुपूरक 50779.93

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. सर्व शिक्षा अभियान हेतु रुपये 752329000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राजस्व पक्ष में रुपये 645636000 तथा पूंजीगत पक्ष में रुपये 280821000 इस प्रकार कुल रुपये 926457000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
3. अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिये दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु रुपये 325900000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
4. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, सोनहा, खीरी हेतु रुपये 5313000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. दीनदयाल अंत्योदय योजना- राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डे.एन.यू.एल.एम.) हेतु रुपये 67500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
6. लघु तथा सीमान्त कृषकों के फसली ऋण मोचन योजना हेतु रुपये 60000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. डिजीज फ्री जोन हेतु राजस्व पक्ष में रुपये 49167000 एवं पूंजीगत पक्ष में रुपये 833000 अर्थात् कुल रुपये 50000000 की आवश्यकता ।
8. सब मिशन आन एगो फरैस्ट्री योजना हेतु राजस्व पक्ष में रुपये 268000 तथा पूंजीगत पक्ष में रुपये 332000 इस प्रकार कुल रुपये 600000 की आवश्यकता
9. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु रुपये 2520384000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
10. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजना के अंतर्गत शौचालयों के निर्माण हेतु रुपये 357500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
11. मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) हेतु रुपये 12010000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 083

समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष

घटक योजना)

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 115-190 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	1534783.38	914094.68	2448878.06
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	171135.37	4315.08	175450.45
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1705918.75	918409.76	2624328.51
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2225 - अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण

01 - अनुसूचित जातियों का कल्याण

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

05 - छत्रपति शाह जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान , लखनऊ

07 - मानदेय	22.00
29 - अनुरक्षण	35.00
41 - भोजन व्यय	44.00

योग : 05 101.00

योग : 789 101.00

योग : 01 101.00

योग : 2225 101.00

2235 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण

02 - समाज कल्याण

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0103 - किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (एस 0 ए 0 जी0)

43 - सामग्री एवं सम्पूर्ति	0.01
----------------------------	------

योग : 0103 - 0.01

	धनराशि
योग : 01	0.01
योग : 789	0.01
योग : 02	0.01
60 - अन्य सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण कार्यक्रम	
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं	
0101 - आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	0.30
योग : 0101	0.30
योग : 01	0.30
योग : 789	0.30
योग : 60	0.30
योग : 2235	0.31
2401 - फसल कृषि कर्म	
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
08 - लघु तथा सीमान्त कृषकों के फसली ऋण का भुगतान	
20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)	15000.00
योग : 08	15000.00
योग : 789	15000.00
योग : 2401	15000.00
2402 - मृदा तथा जल संरक्षण	
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
03 - प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना	
0301 - वर्षा जल संचयन हेतु खेत तालाब एवं स्प्रेकलर सिंचाई प्रणाली योजना (के.60/रा.40.-के.+रा.)	
27 - सब्सिडी	0.01
42 - अन्य व्यय	0.01
योग : 0301	0.02

धनराशि	
योग : 03	0.02
योग : 789	0.02
योग : 2402	0.02

2403 - पशु पालन

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0104 - सरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेन्ट योजना (के.60/रा.40-के.+रा.)

27 - सब्सिडी 203.30

योग : 0104 203.30

0110 - पशुपालन विभाग के कर्मियों, पैरावेटनरी कार्यकर्ताओं तथा प्रगतिशील पशुपालकों का प्रशिक्षण एवं दक्षता निर्माण

04 - यात्रा व्यय 1.73

18 - प्रकाशन 0.74

44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय 29.53

योग : 0110 32.00

योग : 01 235.30

योग : 789 235.30

योग : 2403 235.30

2406 - वानिकी तथा वन्य जीव

01 - वानिकी

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

0101 - सब मिशन आन एगो फारेस्ट्री (के. 60/रा. 40 - के.+रा.)

04 - यात्रा व्यय 1.20

08 - कार्यालय व्यय 1.20

15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद 1.20

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 81.56

44 - प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय 8.58

योग : 0101 93.74

धनराशि	
योग : 01	93.74
योग : 789	93.74
योग : 01	93.74
योग : 2406	93.74

2515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ

0103 - स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत स्वच्छ शौचालय का निर्माण (जिला योजना) (के.60/रा.40-के.+रा.)

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) 155705.00

योग : 0103 155705.00

योग : 01 155705.00

योग : 789 155705.00

योग : 2515 155705.00

योग : राजस्व लेखा 171135.37

पूँजी लेखा-----

4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

03 - खेलकूद तथा युवा सेवा

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

04 - म्योहाल इलाहाबाद स्थित स्पोर्ट्स काम्पलेक्स के सुदृढीकरण/जीर्णोद्धार/नवीनीकरण एवं विस्तार हेतु

24 - वृहत् निर्माण कार्य 30.15

योग : 04 30.15

योग : 789 30.15

योग : 03 30.15

योग : 4202 30.15

4215 - जलपूर्ति तथा सफाई पर पूँजीगत परिव्यय

01 - जलपूर्ति

789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

06 - 'मुख्यमंत्री आर 0 ओ 0 पेयजल योजना'

24 - वृहत् निर्माण कार्य 1050.00

	धनराशि
योग : 06	1050.00
07 - बुन्देलखण्ड / विन्ध्य / गुणता प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल की परियोजना	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	2500.00
योग : 07	2500.00
योग : 789	3550.00
योग : 01	3550.00
योग : 4215	3550.00
4403 - पशुपालन पर पूँजीगत परिव्यय	
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनायें	
0103 - डिजीज फ्री जोन की स्थापना (के.60/रा.40.-के.+ रा.)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	16.67
योग : 0103	16.67
योग : 01	16.67
योग : 789	16.67
योग : 4403	16.67
4406 - वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय	
01 - वानिकी	
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना	
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनायें	
0101 - सब मिशन आन एग्रो फारेस्ट्री (के.60/रा.40.-के.+ रा.)	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	110.12
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3.14
योग : 0101	113.26
योग : 01	113.26
योग : 789	113.26
योग : 01	113.26
योग : 4406	113.26

		धनराशि
4515 - अन्य ग्राम विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय		
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
01 - केन्द्र प्रायोजित योजनाएँ		
0103 - प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (के.100/रा.0-के.)		
24 - वृहत् निर्माण कार्य		185.00
योग : 0103		185.00
योग : 01		185.00
योग : 789		185.00
योग : 4515		185.00
5054 - सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय		
04 - जिला तथा अन्य सड़कें		
789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना		
19 - रेलवे उपरिगामी / अधोगामी सेतुओं के निर्माण के नये कार्यो के लिये एकमुश्त व्यवस्था		
24 - वृहत् निर्माण कार्य		210.00
योग : 19		210.00
20 - ग्रामीण सेतुओं का निर्माण कार्य		
24 - वृहत् निर्माण कार्य		210.00
योग : 20		210.00
योग : 789		420.00
योग : 04		420.00
योग : 5054		420.00
योग : पूँजी लेखा		4315.08
योग : अनुपूरक		175450.45

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान (भागीदारी भवन) लखनऊ हेतु रुपये 10100000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. किशोरी बालिकाओं के लिये योजना रुपये 1000 की प्रतीक व्यवस्था आवश्यकतानुसार धनराशि अनुदान के राजस्व पक्ष में होने वाली सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।
3. आयुष्मान भारत- नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन हेतु रुपये 30000 की आवश्यकता ।
4. लघु तथा सीमान्त कृषकों के फसली ऋण मोचन योजना हेतु रुपये 1500000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
5. प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजनान्तर्गत स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली योजना हेतु रुपये 2000 की प्रतीक व्यवस्था आवश्यकतानुसार धनराशि राजस्व पक्ष में होने वाली सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी ।।

6. नेशनल लाइवस्टॉक मिशन के अन्तर्गत सरल बैकयार्ड पोल्ट्री डेवलपमेंट योजना हेतु रुपये 20330000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
7. पशुपालन विभाग के कर्मियों, पैरा वेटनरी कार्यकर्ताओं तथा प्रगतिशील पशुपालकों के प्रशिक्षण एवं दक्षता निर्माण हेतु रुपये 3200000 की आवश्यकता ।
8. सब मिशन आन एग्रो फारेस्ट्री हेतु राजस्व पक्ष में रुपये 9374000 तथा पूंजीगत पक्ष में रुपये 11326000 इस प्रकार कुल 20700000 की आवश्यकता ।
9. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) योजनान्तर्गत शौचालयों के निर्माण हेतु रुपये 15570500000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
10. म्यो हाल, इलाहाबाद के सुदृढीकरण/ जीणोद्धार/ नवीनीकरण एवं विस्तार हेतु रुपये 3015000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
11. मुख्यमंत्री आर.ओ. पेयजल योजना हेतु रुपये 105000000 की आवश्यकता ।
12. प्रदेश के बुन्देरलखण्ड क्षेत्र, विंध्य क्षेत्र तथा गुणता प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल योजनाओं के निर्माण हेतु कन्सल्टेन्ट का चयन एवं परियोजना के क्रियान्वयन हेतु रुपये 250000000 की आवश्यकता ।
13. डिजीज फ्री जोन की स्थापना हेतु रुपये 1667000 की आवश्यकता ।
14. प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना हेतु रुपये 18500000 की आवश्यकता ।
15. रेलवे उपरिगामी/ अधोगामी क्षेत्रों के नए निर्माण कार्य हेतु रुपये 21000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
16. नये ग्रामीण सेतुओं के निर्माण हेतु रुपये 21000000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 084

सामान्य प्रशासन विभाग

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 191-196 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	953.44	45426.55	46379.99
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	450.00	...	450.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	1403.44	45426.55	46829.99
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2250 - अन्य सामाजिक सेवायें

101 - धर्मार्थ प्रायोजनों के लिए दान

09 - काशी हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी में वैदिक विज्ञान केन्द्र

01 - वेतन	107.36
04 - यात्रा व्यय	2.32
08 - कार्यालय व्यय	20.76
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	20.00
42 - अन्य व्यय	48.36
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	1.20

योग : 09 200.00

10 - श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद वाराणसी

42 - अन्य व्यय	250.00
----------------	--------

योग : 10 250.00

योग : 101 450.00

योग : 2250 450.00

योग : राजस्व लेखा 450.00

योग : अनुपूरक 450.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. काशी हिंदू विश्वविद्यालय, वाराणसी के अन्तर्गत वैदिक विज्ञान केंद्र हेतु रुपये 20000000 की आवश्यकता ।

2. श्री काशी विश्वनाथ विशिष्ट क्षेत्र विकास परिषद, वाराणसी के संचालन हेतु रुपये 25000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 086

सूचना विभाग

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 201-211 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	38337.96	2247.01	40584.97
	भारित
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	1000.00	1100.00	2100.00
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	39337.96	3347.01	42684.97
	भारित

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2220 - सूचना तथा प्रचार

60 - अन्य

106 - क्षेत्र प्रचार

04 - लोक कल्याण मित्र

42 - अन्य व्यय

1000.00

योग : 04

1000.00

योग : 106

1000.00

योग : 60

1000.00

योग : 2220

1000.00

योग : राजस्व लेखा

1000.00

पूँजी लेखा-----

4059 - लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय

01 - कार्यालय भवन

051 - निर्माण

04 - जिला सूचना कार्यालय भवन/सूचना केन्द्र/प्रेस क्लब

24 - वृहत् निर्माण कार्य

1100.00

योग : 04

1100.00

योग : 051

1100.00

	धनराशि
योग : 01	1100.00
योग : 4059	1100.00
योग : पूँजी लेखा	1100.00
योग : अनुपूरक	2100.00

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. प्रदेश में कुल 822 ब्लॉकों में एक लोक कल्याण मित्र तथा प्रदेश स्तर पर दो प्रदेश स्तरीय कल्याण मित्र, इंटरनेशियल कार्यक्रम अन्तर्गत रूपये 100000000 की आवश्यकता ।
2. प्रदेश के 4 जनपदों फैजाबाद, गोरखपुर, वाराणसी एवं शाहजहांपुर में जिला सूचना कार्यालय भवन/ केंद्रों तथा प्रेस क्लब के निर्माण हेतु रूपये 110000000 की आवश्यकता ।

अनुदान संख्या 092

संस्कृति विभाग

[वर्ष 2018-2019 के ब्योरेवार अनुमान और अनुदान के लिये खण्ड-5(भाग 9)के पृष्ठ संख्या 253-265 तक देखिये]

		(₹लाख में)		
		राजस्व	पूँजी	योग
I.मूल अनुदान	मतदेय	7972.44	7781.19	15753.63
	भारित	0.05	...	0.05
अनुपूरक अनुदान जिसकी अब आवश्यकता है	मतदेय	126.50	1400.02	1526.52
	भारित
योग(मूल अनुदान और अनुपूरक अनुदान)	मतदेय	8098.94	9181.21	17280.15
	भारित	0.05	...	0.05

II.लेखा शीर्ष जिसके अन्तर्गत इस अनुपूरक अनुदान को सम्मिलित किया गया है |

(₹लाख में)

धनराशि

राजस्व लेखा-----

2205 - कला एवं संस्कृति

101 - ललित कला शिक्षा

16 - उ.प्र.जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ को अनुदान

20 - सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन)

26.50

योग : 16

26.50

योग : 101

26.50

800 - अन्य व्यय

17 - मा0 अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में सांस्कृतिक समारोह का आयोजन

42 - अन्य व्यय

100.00

योग : 17

100.00

योग : 800

100.00

योग : 2205

126.50

योग : राजस्व लेखा

126.50

पूँजी लेखा-----

4202 - शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय

04 - कला तथा संस्कृति

800 - अन्य व्यय

41 - सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चाहरदीवारी का निर्माण

24 - बृहत् निर्माण कार्य

0.01

	धनराशि
योग : 41	0.01
42 - पं0 सूर्यकान्त त्रिपाठी निराला जी की जन्मस्थली गढकोला- उन्नाव में विशाल स्मृति भवन, पुस्तकालय एवं अन्य संरचना	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	500.00
योग : 42	500.00
43 - पं0 दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में निर्माण कार्य	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	0.01
योग : 43	0.01
44 - संत कबीर अकादमी की स्थापना	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	500.00
योग : 44	500.00
45 - मा0 अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में सांस्कृतिक समारोह के आयोजन हेतु स्मृति संकुल	
24 - वृहत् निर्माण कार्य	400.00
योग : 45	400.00
योग : 800	1400.02
योग : 04	1400.02
योग : 4202	1400.02
योग : पूंजी लेखा	1400.02
योग : अनुपूरक	1526.52

अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से हुई है :-

1. उत्तर प्रदेश जैन विद्या शोध संस्थान, लखनऊ हेतु रुपये 2650000 की अतिरिक्त आवश्यकता ।
2. मा0 अटल बिहारी वाजपेयी की स्मृति में सांस्कृतिक समारोह के आयोजन हेतु राजस्व पक्ष में रुपये 10000000 तथा स्मृति संकुल के निर्माण हेतु पूंजीगत पक्ष में रुपये 40000000 अर्थात कुल रुपये 50000000 की आवश्यकता ।
3. प्रदेश के सार्वजनिक रामलीला स्थलों में चाहरदीवारी का निर्माण कराए जाने हेतु 1000 की प्रतीक व्यवस्था | आवश्यकतानुसार धनराशि अनुदान में होने वाली सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी |
4. पं0 सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जन्मस्थली गढकोला, उन्नाव में स्मृति भवन, पुस्तकालय एवं अन्य संरचनाओं के निर्माण हेतु रुपये 50000000 की आवश्यकता ।
5. पं0 दीनदयाल उपाध्याय, गोरखपुर विश्वविद्यालय परिसर में निर्माण कार्य हेतु 1000 की प्रतीक व्यवस्था | आवश्यकतानुसार धनराशि अनुदान में होने वाली सम्भावित बचतों से वहन की जायेगी |
6. सन्त कबीर अकादमी की स्थापना आदि कार्यों हेतु रुपये 50000000 की आवश्यकता ।